आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

जनवरी 2024

क्रान्ति

मासिक

सहयोग रा
30/-

75

"संविधान का 75वां अमृत वर्ष"

मूल्य-आधारित राजनीति के बिना संवैधानिक मूल्य कैसे हों साकार ?



अल्लाह के रसूल ने इरशाद फ़रमाया :

मैं अच्छे अख़्लाक़ को

मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं।

(इमाम मालिक : 705)



With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate

Concolim-403703 GOA

Email: sagarffpi@gmail.com

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
AARYA PRINTERS
situated at 201, Ground Floor
DSIDC Complex Okhla Industrial
Area Phase-I, New Delhi-110020
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 07 जनवरी 2024

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
संवैधानिक चेतना और मूल्य आधारित राजनीति की आवश्यकता
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
मानवता का प्रथम शिक्षक कौन है?
प्रो. मुहम्मद मुमताज़ अली

सौंदर्य बोध 11
विनाश और कल्याण के बीच चुनाव की कसौटी
डॉ. उबैदुर्रहमान नदवी

प्रकाश स्तंभ 14
सवाल हलाल का...
संपादन प्रभाग

मुख्य स्तंभ 17
मूल्य-आधारित राजनीति के बिना संवैधानिक मूल्य कैसे हों साकार!
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 21
संवैधानिक सरोकार और न्यायिक लोकतंत्र की कामना
सचिन कुमार जैन

समाधान 25
क्या हो, गणतंत्र का वास्तविक लक्ष्य?
डॉ. प्रदीप कुमार

कविता 28
पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले
हरिवंश राय बच्चन

समसामयिक 29
महाझूठ पर नकेल
संपादन प्रभाग

मंथन 31
सतत सामाजिक संकट
जितेंद्र गौतम

पर्यावरण 34
कॉप-28 और जलवायु से जुड़े सवाल
संपादन प्रभाग

इबारत 36
'हसन इब्न अल-हेथम' "आधुनिक प्रकाशिकी का जनक"
संपादन प्रभाग

सेहत 39
सर्दी और सेहत
संपादन प्रभाग

करियर 41
कंटेंट लेखन : डिजिटल दुनिया की ज़रूरत
संपादन प्रभाग

कहानी 44
अनोखी जीत
उज़्मा अबूनस्र सिद्दीक़ी

परिदृश्य 47
ग्रेटर इस्राईल की अवधारणा और षड्यंत्र का दुश्चक्र
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

संवैधानिक चेतना और मूल्य आधारित राजनीति की आवश्यकता

आज़ादी के अमृत वर्ष के साथ ही भारतीय संविधान ने भी 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज से 75 साल पहले इन्हीं सर्दियों में (9 दिसंबर 1946 को) संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। विभाजन और सांप्रदायिक नफ़रत के माहौल में भारत के लिए संविधान बनाना कितना भावुकतापूर्ण कार्य रहा होगा, किन मनःस्थितियों में संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी भूमिका निभाई होगी, कैसे अपने राजनैतिक और सामाजिक पक्षधरता के बीच मेल बिठाया होगा, यह सोच पाना भी हमें भावुकता से भर देता है। साम्प्रदायिक या राजनीतिक प्रभुत्ववादी सोच रखकर वैसा संविधान नहीं बनाया जा सकता था, जैसा कि भारत ने बनाया। वास्तविकता तो यह है कि भारत का संविधान, भारत की महान ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत को मूर्त रूप देता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत विश्व में जो बौद्धिक व राजनैतिक मक़ाम को हासिल करना चाहता है, वह संविधान के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।

भारत का संविधान,भारत की महान ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत को मूर्त रूप देता है।यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत विश्व में जो बौद्धिक व राजनैतिक मुकाम को हासिल करना चाहता है,वह संविधान के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और उससे उत्पन्न हुआ संविधान, दुनिया में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, इन दोनों ही घटनाक्रमों में ऐसी ढेरों मिसालें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि कैसे देशप्रेम की अवधारणा अहिंसा, सहिष्णुता, विविधता में एकता, सामाजिक न्याय और राजनैतिक परिपक्वता के समीकरण से पनपती और विकसित होती है।

संविधान की इमारत को बड़े-बड़े कुशल शिल्पकारों ने डिज़ाइन किया है। इसकी नींव ठोस है। इस इमारत का हर हिस्सा काफ़ी शानदार और बेहद ख़ुबसूरत है। इसकी व्यवस्था बुद्धि और विवेक से पूर्ण है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था बाहर से अजेय है। मगर अपने रक्षकों यानी प्रजा की मूर्खता, उपेक्षा और आचारहीनता से यह इमारत क्षणभर में ढहकर खंडहर बन सकती है।

संविधान सभा के पहले दिन ही भारतीय संविधान के मूल्य, राजनीतिक नज़रिया और राष्ट्रीय संवेदनशीलता को स्थापित किया जा रहा था। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉ. सिन्हा ने पहले ही दिन अमेरिकन न्यायविद जोसेफ स्टोरी की पुस्तक के उद्धरण रखे–"अमेरिका के नवयुवकों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अपने विधान में उन्हें एक ऐसी

ऊंची विरासत मिली है, जिसे उनके पूर्वजों ने अथक परिश्रम, कष्ट और बलिदान करके, अपना ख़ून देकर उपार्जित किया था। ईमानदारी से इसकी रक्षा की जाए और बुद्धिमत्ता से इसे और समुन्नत बनाया जाए तो वह इस योग्य है कि वह उनके सुदूरभावी वंशजों को जीवन की समस्त कामनाएं, स्वतंत्रता, संपन्नता और धर्म का सुखद उपभोग प्रदान कर सकता है।"

और जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इससे एक दिन पहले बाबा साहब डॉ. भीम राव आंबेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग ख़राब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। वहीं, अगर इसे अमल में लाने वाले अच्छे निकले तो संविधान अच्छा साबित होगा।



इन दोनों हवालों से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, देश की राजनीति का संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना ज़रूरी है और दूसरे, जन-जन के अंदर संवैधानिक चेतना का आम होना अत्यंत आवश्यक है।

दुर्भाग्यवश भारतीय राजनीति का अब मूल्य पर आधारित होना तथा राजनैतिक दलों में विचारधारा के साथ खड़ा होना गुज़रे ज़माने की बात हो गई है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखकर बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि सियासत अब मूल्यविहीन होने के साथ वैचारिक पक्षधरता से भटक गई है। राजनीतिक दलों का लक्ष्य मात्र सत्ता हासिल करना, सत्ता प्राप्ति के लिए बेमेल गठजोड़ और नए-नए समीकरण तैयार कर जनभावना को जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर उभारना और जनमत को येन केन प्रकारेण अपने पक्ष में करने का निरंतर प्रयास करना मात्र रह गया है। यह आज की राजनीतिक नियति बन चुकी है। ये बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि मूल्य आधारित राजनीति के बिना संवैधानिक मूल्य साकार नहीं हो सकते।

भारतीय लोकतंत्र, राजनीतिक संस्कृति के एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस संकट में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच की संवादहीनता, एक विविधतापूर्ण समाज में बहुसंख्यकवाद की बढ़ती वैधता, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण के साथ संघवाद का क्षय, विकास संबंधी नीतियों का चुनावी नतीजों को लक्ष्य कर बनाये जाने के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों की घोर अनदेखी शामिल हैं।

दूसरी बात, जब तक विधायिका और न्यायपालिका से आगे बढ़कर संवैधानिक साक्षरता और संवैधानिक चेतना आमजन में आम नहीं होगी, संवैधानिक मूल्य पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण स्वप्न ही रह जायेगा। यदि आज भी यह माना जाता है कि संविधान को धारण करना केवल सरकार और न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी है, तो यह मान लेना चाहिए कि भारत की आज़ादी के 75 साल व्यर्थ गए।

लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि भारत का एक आम व्यक्ति पांच साल में एक दिन के लिए नींद से जागे और बिना किसी विश्लेषण के मतदान कर आये। उसकी उंगली पर लगा स्याही का निशान वास्तव में इस बात का परिचायक होना चाहिए कि उसने मतपेटी में अपना मत डालने से पहले अच्छी तरह से यह सोच-विचार किया है कि कौन-सा राजनीतिक विचार, दल और उम्मीदवार समाज की बेहतरी की ऐसी योजना को लागू कर सकता है, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा होगी, देश के सभी लोगों के बीच प्रेम और सहिष्णुता का भाव विकसित होगा। किसके पास किसानों, मज़दूरों, युवाओं और बच्चों के लिए समग्र दृष्टिकोण है?

लोकतंत्र का मतलब ये है कि आम जन के अंदर संवैधानिक बुद्धिमत्ता हो। संवैधानिक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि भारत का नागरिक जाति, नस्ल, सम्प्रदाय, धर्म और अनैतिक आचरण के आधार पर गांव, प्रदेश और देश की सरकार का चुनाव नहीं करेगा।

अंत में,

मानव जीवन में जब शुरुआती दिनों, महीनों और सालों में मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो फिर उस नुक़सान की भरपाई जीवन भर नहीं हो पाती है और व्यक्ति अपने शरीर और मन की क्षमताओं को एक सीमित हद तक ही उपयोग में ला पाता है। संवैधानिक विकास "न" होने का असर भी हमें भारत के जीवन पर दिखाई दे रहा है। ■■



“अगर आदम की सन्तान के पास माल से भरी दो घाटियां भी हों तो उसे तीसरी की इच्छा और तलाश होगी। आदम की सन्तान के पेट को सिर्फ़ मिट्टी ही भरती है, और अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा स्वीकार करता है।” (हदीस : बुख़ारी)

with best compliment from

Aaniya Khan [Goa]





मानवता का प्रथम शिक्षक कौन है?

चिंतन



प्रो. मुहम्मद मुमताज़ अली

हम पढ़ते हैं कि ईश्वर संपूर्ण जगत का निर्माता है, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, स्वयं विद्यमान, शाश्वत, सर्वशक्तिमान, सबसे दयालु है, जिसने हमें वह सिखाया जो हम नहीं जानते थे, विशेषकर जीवन का सही तरीक़ा। कुरआन कहता है, "उसने तुम्हें वह कुछ सिखाया जो तुम जानते न थे। और ईश्वर का तुम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है।" (कुरआन, 4:113)

हमारा प्रथम शिक्षक कौन है? क्या हमने कभी इस प्रश्न के बारे में सोचा है? हां शायद कभी-कभी। हम समझते हैं कि हमारे मां-बाप या भाई-बहन या हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, जिन्होंने हमें लिखना और पढ़ना सिखाया, वे हमारे पहले शिक्षक थे, लेकिन क्या हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यह सही उत्तर है?

हम सभी को एक क्षण रुककर स्वयं से यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि, यह एक अहम सवाल है और हमने कई बार इसका सही उत्तर पढ़ा है, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम क़ुरआन में पढ़ते हैं कि ईश्वर संपूर्ण जगत का निर्माता है, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, स्वयं विद्यमान, शाश्वत, सर्वशक्तिमान, सबसे दयालु है, जिसने हमें वह सिखाया जो हम नहीं जानते थे, विशेषकर जीवन का सही तरीक़ा।

क़ुरआन कहता है, "उसने तुम्हें वह कुछ सिखाया जो तुम जानते न थे। और ईश्वर का तुम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है।" (क़ुरआन, 4:113)

पैग़म्बर ईसा (अलैहि.) के संदर्भ में क़ुरआन में कहा गया है–

"...मेरे उपकार को याद करो...जब मैंने तुम्हें किताब और ज्ञान सिखाया था।" (क़ुरआन, 5:110)

ईश्वर ने पैग़म्बर यूसुफ़ (अलैहि.) को सिखाया कि चीज़ों के गहरे अर्थ को कैसे समझा जाए। क़ुरआन कहता है–

"और जब वह अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे निर्णय-शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। उत्तमकार लोगों को हम इसी प्रकार बदला देते हैं।" (क़ुरआन, 12:22)

क़ुरआन में यह बात बार-बार कही गई है कि ईश्वर ने हमें जीवन, समाज और संसार की सच्चाई और वास्तविकता के बारे में सिखाया है। उसने मनुष्य को इस दुनिया की सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में सिखाया ताकि हम उनके साथ

ठीक से व्यवहार कर सकें। उसने हमें पढ़ना और लिखना सिखाया। उसने हमें सिखाया कि हमें अपनी सीमा पता होनी चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

"ईश्वर तुम्हें शिक्षा दे रहा है और ईश्वर हर चीज़ को जानता है।"

(क़ुरआन, 2:282)

इस मामले में कोई भी उसके बराबर नहीं है। हमने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा–

"पवित्र और महिमावान है तू! तूने जो कुछ हमें बताया उसके सिवा हमें कोई ज्ञान नहीं। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है।" (क़ुरआन, 2:32)

अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ईश्वर ने हमें वह मानदंड प्रदान किया जिसके द्वारा हम सत्य को असत्य से अलग कर सकते हैं। इस संबंध में क़ुरआन कहता है–

"उसने तुम पर हक़ के साथ किताब उतारी जो अपने से पहले की (किताबों की) पुष्टि करती है, और उसने तौरात और इंजील उतारी, इससे पहले के लोगों के मार्गदर्शन के लिए, और उसने कसौटी भी उतारी।" (क़ुरआन, 3:3-4)

ईश्वर ने हमें क़ुरआन के माध्यम से जीवन और दुनिया की सच्चाई और वास्तविकता के बारे में सिखाया। उसने हमारा मार्गदर्शन किया ताकि हम अपने जीवन, समाज और संसार को समझ सकें और उसे सार्थक और जीने योग्य बना सकें (16:64)। उसने हमें वह मार्ग दिखाया जो सबसे सीधा है, ताकि हम नेक काम कर सकें। उसने हमें परलोक की सच्चाई और वास्तविकता के बारे में बताया। उसने हमें बताया कि परलोक में, वह इस सांसारिक जीवन का हिसाब लेगा और हमें सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इनाम देगा। उसने हमें उस गंभीर यातना के बारे में भी चेताया जो हमारा इंतिज़ार कर रही है (17:9-10)। क़ुरआन में हमें यह बताया गया है–

"जो कोई सीधा मार्ग अपनाए तो उसने अपने लिए ही सीधा मार्ग अपनाया और जो भटका तो वह अपने ही बुरे के लिए भटका। और कोई भी उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और हम लोगों को यातना नहीं देते जब तक कोई रसूल न भेज दें।"

(क़ुरआन, 17:15)

क़ुरआन में यह बात बार-बार कही गई है कि ईश्वर ने हमें जीवन, समाज और संसार की सच्चाई और वास्तविकता के बारे में सिखाया है। उसने मनुष्य को इस दुनिया की सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में सिखाया ताकि हम उनके साथ ठीक से व्यवहार कर सकें। उसने हमें पढ़ना और लिखना सिखाया। उसने हमें सिखाया कि हमें अपनी सीमा पता होनी चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।



इसलिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क़ुरआन के माध्यम से मानव-जाति को जीवन और इस दुनिया की सच्चाई और वास्तविकता को समझने के लिए आमंत्रित किया।

"ऐ लोगो! बन्दगी करो अपने रब की जिसने तुम्हें और तुम से पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम बच सको, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आकाश को छत बनाया, और आकाश से पानी उतारा फिर उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार और फल तुम्हारी रोज़ी के लिए पैदा किए, अतः जब तुम जानते हो तो ईश्वर के समकक्ष न ठहराओ।" (क़ुरआन, 2:21-22)

क़ुरआन सभी विचारशील दिमाग़ों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। यदि ज्ञान-दाता की पुस्तक के निर्देशों

का व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लोगों द्वारा ईमानदारी से अभ्यास और पालन किया जाए, तो हर कोई शांतिपूर्ण और ख़ुशहाल जीवन जी सकता है। हममें से बहुत से लोग यह भूल गए हैं कि ईश्वर और उसकी पुस्तक हमेशा हमारे ज्ञान और मार्गदर्शन का पहला स्रोत होनी चाहिए। क्या यह कृतघ्नता का एक रूप नहीं है? यही कारण है कि क़ुरआन में ईश्वर लोगों से पूछ रहा है कि वे उसके प्रति कृतघ्न कैसे हो सकते हैं?

"तुम ईश्वर के साथ अविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो, जबकि तुम निर्जीव थे तो उसने तुम्हें जीवित किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है?'' (क़ुरआन, 2:28)

चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, निश्चित रूप से हम सभी को इस दुनिया में बिताए गए अपने जीवन का हिसाब परलोक में देना होगा। यह हमारे जीवन का सत्य है, ईश्वर ने हमें इससे अवगत कराया है। वास्तव में मानवता के प्रथम शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण सबक़ यही है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए–

"जो गुनाह क्षमा करने वाला, तौबा क़बूल करने वाला, कठोर दण्ड देने वाला, सर्वशक्तिमान है। उसके अतिरिक्त कोई पूज्य-प्रभु नहीं। अंततः उसी की ओर जाना है।'' (क़ुरआन, 40:3)

पारलौकिक जीवन के बारे में यह सबक़ हमें सभी बुराइयों से बचाने और हमें हमेशा उसकी ओर पलटने की याद दिलाने के लिए है। ईश्वर क़ुरआन के माध्यम से कहता है कि मुक्ति और न्याय के दिन सभी लोग परलोक की सच्चाई और वास्तविकता को देखेंगे और स्वीकार करेंगे।

"जिस दिन वे खुले रूप में सामने उपस्थित होंगे, उनकी कोई चीज़ ईश्वर से छिपी न रहेगी, आज प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा। आज कोई ज़ुल्म न होगा। निश्चय ही ईश्वर हिसाब लेने में बहुत तेज़ है।'' (क़ुरआन, 40:16-17)



अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ईश्वर ने हमें वह मानदंड प्रदान किया जिसके द्वारा हम सत्य को असत्य से अलग कर सकते हैं। इस संबंध में क़ुरआन कहता है-"उसने तुमपर हक़ के साथ किताब उतारी जो अपने से पहले की (किताबों की) पुष्टि करती है, और उसने तौरात और इंजील उतारी, इससे पहले के लोगों के मार्गदर्शन के लिए, और उसने कसौटी भी उतारी।" (क़ुरआन, 3:3-4)

फ़ैसले के दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर उन सभी रहस्यों को उजागर करेगा जो लोगों के दिलों में छिपे हुए हैं और अपना फ़ैसला सुनाएगा। उस दिन उसके न्याय से कोई बच नहीं सकेगा। इस दुनिया में जिसने भी कोई ग़लत काम किया होगा उसे उसका परिणाम ज़रूर देखना पड़ेगा। जिस प्रकार परलोक में ईश्वर के अलावा कोई हमारा उद्धारकर्ता नहीं होगा, उसी प्रकार इस जीवन में भी हमारा सच्चा उद्धारकर्ता और मार्गदर्शक ईश्वर और उसकी किताब ही है। यह मानव जीवन का प्रथम पाठ है, जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें सिखाया है। उसकी दी हुई शिक्षाओं के अनुसार जीना, और ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर पलटना ही हमें झूठ, अहंकार और निराशा की गलियों में अंधे होकर चलने से बचा सकता है।

"धर्म के विषय में कोई ज़बरदस्ती नहीं। सही बात नासमझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है। तो अब जो कोई बढ़े हुए सरकश को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं, ईश्वर उनका रक्षक और सहायक है। वह उन्हें अंधेरों से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है। रहे वे लोग जिन्होंने इन्कार किया, तो उनके संरक्षक बढ़े हुए सरकश हैं। वे उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरों की ओर ले जाते हैं। वही आग (नरक) में पड़ने वाले हैं।'' ■■

(क़ुरआन, 2:256-257)

(लेखक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में धर्मशास्त्र और मानव विज्ञान के प्रोफ़ेसर हैं)



"जब इन्सान मर जाता है
तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता
है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे
अलग हैं—जारी रहने वाला सदक़ा या
ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक
सन्तान जो उसके लिए दुआ करे।"
(हदीस: मुस्लिम)

A Well Wisher

K. Abu Bakar (Goa)



विनाश और कल्याण के बीच

चुनाव की कसौटी

सौंदर्य बोध



डॉ. उबैदुर्रहमान नदवी

आज हम में से अधिकांश लोग पापों, बुराइयों, अपराधों, भ्रष्टाचारों तथा असामाजिक गतिविधियों में डूबे हुए हैं। मानवता अपने निम्नतम स्तर को छू चुकी है। इसकी पवित्रता लुप्त हो गई है। मौजूदा क़ानून असामाजिक तत्वों में भय पैदा करने में विफल हो रहे हैं। क़ानून लागू करने वाली एजेंसियां अप्रभावी हो गई हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी दुनिया उथल-पुथल की स्थिति में है। भौतिकवाद ने जीवन के सूक्ष्म पहलुओं पर ग्रहण लगा दिया है। सभी प्रकार का भ्रष्टाचार अब जीवन का एक तरीक़ा बन गया है।

बलात्कार जैसे अपराधों के आंकड़े यह घिनौनी तस्वीर पेश करते हैं कि समाज का नैतिक ताना-बाना तार-तार हो गया है। वह भीतर से खोखला हो गया है, इसकी जड़ें सूख गई हैं। इस सन्दर्भ में हम बीसवीं सदी के महानतम कवियों में से एक टी.एस. एलियट को याद कर सकते हैं, जिन्होंने यूरोप में तत्कालीन प्रचलित नैतिक पतन, तिरस्कार, अपमान और जानवरों जैसे व्यवहार को देखकर 'द वेस्ट लैंड'(बंजर भूमि) नामक प्रसिद्ध कविता की रचना की थी। उन्होंने यूरोप को अपने लोगों द्वारा किए गए पापों के कारण बंजर भूमि के रूप में वर्णित किया। उन्होंने समकालीन यूरोप में नैतिक पतन और वासना की व्यापकता की ओर इशारा करते हुए एक पूरी पीढ़ी के पतन पर प्रकाश डाला। ''द वेस्ट लैंड'' कविता को पांच खंडों में विभाजित किया गया है–

1. मृतकों की अंत्येष्टि
2. शतरंज का खेल
3. अग्नि उपदेश
4. जल से मृत्यु, और
5. बादलों की गड़गड़ाहट ने क्या कहा।

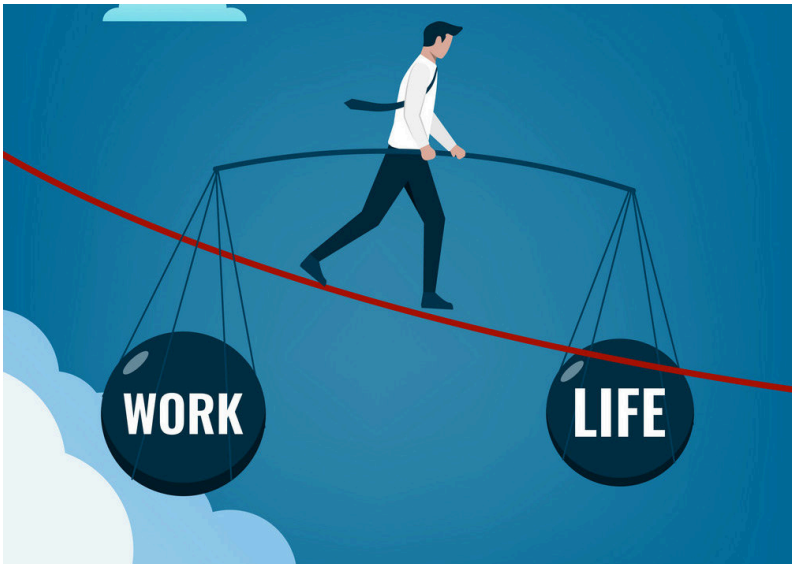
जीवन की भौतिकवादी अवधारणा के परिणामस्वरूप मानव जाति आज संकट का सामना कर रही है, जिसका शायद इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त इस संकट ने धर्म के विरुद्ध विद्रोह का रूप ले लिया है। इस स्थिति के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह असुरक्षा की भावना का अंतिम परिणाम है। विश्व आज विनाश के कगार पर खड़ा है। परमाणु युद्ध का ख़तरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है।

सभी पांच खंडों में कवि दुनिया से अध्यात्मवाद के पतन का उल्लेख करता है। वह बताता है कि आधुनिक दुनिया के लोग भौतिकवादी हो गए हैं।

यह जानकर ख़ुशी होती है कि अग्नि उपदेश कविता का तीसरा खंड है। इसका विचार एलियट को गौतम बुद्ध के उपदेश से आया। गौतम बुद्ध के उपदेश में संसार वासनाओं में जलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ सैकड़ों पाप जुड़े होते हैं। वासना की पूरब और पश्चिम दोनों में निंदा की गई है, लेकिन आधुनिक बंजर भूमिवासी (Waste-landers) वासना में बुरी तरह खो गए हैं। प्यार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए वे स्थायी पीड़ा भोग रहे हैं। एलियट इसे विभिन्न दृश्यों और चित्रों के माध्यम से समझाते हैं।

आज भारत में यही स्थिति है। देश पतन के दौर से गुज़र रहा है। इसने नैतिकता के प्रति सारा सम्मान खो दिया है। जीवन के नैतिक मूल्य मर गए हैं। महिलाएं पुरुषवादी वासना और शोषण का शिकार हो रही हैं।

इन परिस्थितियों में धर्म ही है जो हमारे अंदर ईश्वर का भय और नैतिक शक्ति पैदा कर सकता है। यह हमारे लिए वह मार्ग निर्धारित करता है, जिसके अनुसार हमें आचरण करना है। इसके अलावा यह हमें मानवीय मूल्यों और उदात्त मानदंडों की शिक्षा देता है। यह हमें मुक्ति, प्रगति और समृद्धि के मार्ग की ओर भी ले जाता है। मानवीय मूल्य मानव जाति की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि ये मूल्य हमारे पास नहीं हैं, तो हम वास्तविक मानव नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए विचारशीलता, नैतिक मूल्यों, दया और करुणा की गुणवत्ता विकसित करना आवश्यक है। इन गुणों के बिना हम पशुमात्र ही हैं, उससे अधिक नहीं।



मानवीय मूल्यों का क्षेत्र केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानव जाति के लाभ के लिए बनाई गई दुनिया की सभी चीज़ों तक फैला हुआ है। माता-पिता के अधिकार, बच्चों के अधिकार, पति-पत्नी के अधिकार, रिश्तेदारों के अधिकार, पड़ोसियों के अधिकार, अनाथों के अधिकार, विधवाओं के साथ उदार व्यवहार, ग़रीबों के अधिकार, रोगियों के अधिकार, दासों और नौकरों के अधिकार, मेहमानों के अधिकार, एक मुसलमान का एक मुसलमान पर अधिकार, एक ग़ैर-मुस्लिम का एक मुसलमान पर अधिकार, मानवीय संबंध, जानवरों के अधिकार। इसी प्रकार और अधिकार भी मानवीय मूल्यों के अंतर्गत आते हैं।

अपनी पुस्तक "ट्रू नॉलेज" में, डॉ. एस. राधाकृष्णन कहते हैं–"उपनिषद में यह एक छोटा-सा संवाद है, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है–अच्छे जीवन का सार क्या है? शिक्षक उत्तर देता है–'क्या तुमने उत्तर नहीं सुना'? एक गड़गड़ाहट हुई-दा...दा...दा, तुरंत शिक्षक ने

मानवता यदि जीवित रहना चाहती है, तो उसके पास भौतिकवाद की अवधारणा से अलग होने और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए विनम्रतापूर्वक ईश्वरीय मार्गदर्शन की ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें चाहिए कि हम अनैतिक कृत्यों से दूर रहें। कोई भी धर्म अत्याचारों और अपराधों की इजाज़त नहीं देता। यदि कोई जघन्य अपराध और ग़लत कार्य करता है, तो वह अपने धर्म का सच्चा अनुयायी नहीं है। वह अपमानजनक, द्वेषपूर्ण और अपने धर्म के प्रति वफ़ादार नहीं है।

समझाया कि ये अच्छे जीवन का सार है-दाम, दान, दया। ये अच्छे जीवन की अनिवार्यताएं हैं। आपके पास दाम या आत्म-नियंत्रण, संयम होना चाहिए, जो मनुष्य का लक्षण है।''

पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं–"धर्मों ने मानवता के विकास में बहुत मदद की है। उन्होंने मानव जीवन के मार्गदर्शन के लिए मूल्य और मानक निर्धारित किए हैं और सिद्धांत बताए हैं।''

(द डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया, पृष्ठ 511)

वह आगे कहते हैं–"कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना नहीं रह सकता।'' गांधी जी ने लिखा है–"कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तर्क के अहंकार में घोषणा करते हैं कि उनका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन यह वैसा ही है जैसे कोई आदमी कहे कि वह सांस लेता है, लेकिन उसकी नाक नहीं है।" वह फिर कहते हैं–"सत्य के प्रति मेरी भक्ति ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में खींच लिया है; और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के, और पूरी मानवता के साथ कह सकता हूं कि जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म का क्या अर्थ है।

(एक आत्मकथा, पृष्ठ 379)

नैतिकता-धार्मिकता, प्रसन्नता और परम आत्मबोध के इर्द-गिर्द घूमती। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, लेकिन वह लालच और अन्य बुराइयों पर क़ाबू पाकर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। धर्म हर जगह उन नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों का समर्थन करने के उद्देश्य से कार्य करता है, जिन्होंने मनुष्यों को सभ्य बनाया है।

(एनलाइटनमेंट थ्रू ह्यूमैनिटी एंड स्प्रिचुअलिटी, पृष्ठ 57)

जीवन की भौतिकवादी अवधारणा के परिणामस्वरूप मानव जाति आज संकट का सामना कर रही है, जिसका शायद इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त इस संकट ने धर्म के विरुद्ध विद्रोह का रूप ले लिया है। इस स्थिति के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह असुरक्षा की भावना का अंतिम परिणाम है। विश्व आज विनाश के कगार पर खड़ा है। परमाणु युद्ध का ख़तरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है।



मानवता यदि जीवित रहना चाहती है, तो उसके पास भौतिकवाद की अवधारणा से अलग होने और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए विनम्रतापूर्वक ईश्वरीय मार्गदर्शन की ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें चाहिए कि हम अनैतिक कृत्यों से दूर रहें। कोई भी धर्म अत्याचारों और अपराधों की इजाज़त नहीं देता। यदि कोई जघन्य अपराध और ग़लत कार्य करता है, तो वह अपने धर्म का सच्चा अनुयायी नहीं है। वह अपमानजनक, द्वेषपूर्ण और अपने धर्म के प्रति वफ़ादार नहीं है।

समय की मांग है कि हम धर्म की शिक्षाओं का पालन करें। इसके अलावा, हमें मानवीय दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और जाति, पंथ, रंग और क्षेत्र की परवाह किए बिना समाज के ग़रीबों और वंचित वर्गों के लिए कल्याण और धर्मार्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए।

संक्षेप में, अब समय आ गया है कि हम अपने व्यवहार में नैतिक आचरण को शामिल करें और ख़ुद को नैतिक मूल्यों और नैतिक गुणों के अनुरूप ढालें। इसके अलावा, हमें उन सभी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों से बचना चाहिए जो हमें तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाती हैं। निस्संदेह, केवल नैतिकता ही हमें जघन्य अपराध और अपवित्र कृत्य करने से रोक सकती है। यह एक ऐसी कसौटी है जो इंसान और जानवर के बीच अंतर करती है।

■■

प्रकाश स्तंभ

संपादन प्रभाग



सवाल हलाल का...

हलाल मांस को लेकर उत्तर प्रदेश में उठे हालिया विवाद के बाद 'हलाल' शब्द एक बार फिर चर्चा में है। यहां हलाल शब्द का आशय मांस प्राप्त करने के लिए पशुवध की एक विधि से है। आमतौर पर हलाल शब्द को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है। जहां तक हलाल शब्द का सवाल है तो यह अरबी भाषा का एक शब्द है। हलाल (वैध) और हराम (अवैध या वर्जित) परस्पर विरोधी शब्द हैं, हलाल का शाब्दिक अर्थ होता है 'बंधन खोलना' तथा हराम का शाब्दिक अर्थ है 'किसी चीज़ को सख़्ती से रोकना'। पवित्र क़ुरआन में हराम शब्द का उल्लेख इस प्रकार से हुआ है–

''लोगों, धरती में जो हलाल (वैध) अच्छी-सुथरी चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो। वह तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बुराई और अश्लील बातों को कहता है और यह सिखाता है कि तुम ईश्वर के नाम पर वे बातें कहो, जिनके संबंध में तुम नहीं जानते हो (कि वे ईश्वर की कही हुई हैं)।'' (क़ुरआन, 2:168-169)

मानवीय जीवन के समस्त पक्ष धर्म, अध्यात्म, खान-पान, रस्म व रिवाज, आचार-व्यवहार और राजनीति आदि की जिन-जिन बातों की इस्लाम अनुमति देता है, वे वैध हैं यानी हलाल हैं और जिन बातों से रोकता है वे हराम यानी अवैध हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि वैध-अवैध का निर्धारण महत्वपूर्ण क्यों है और इसका निर्धारण आख़िर कौन करेगा?

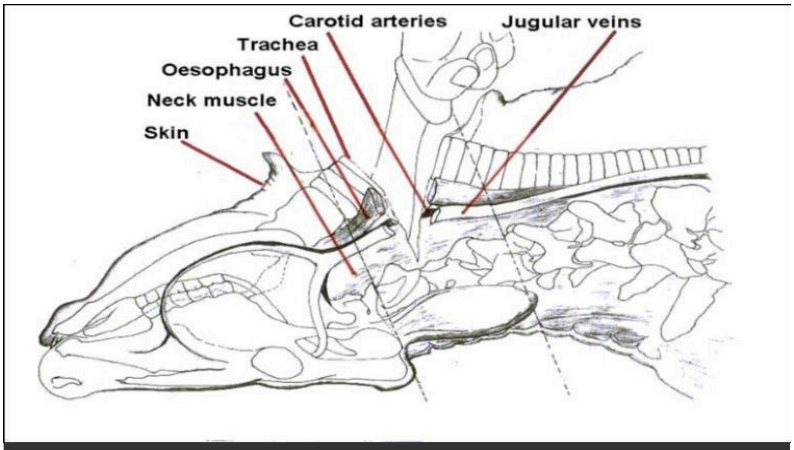
मानवीय जीवन के समस्त पक्ष धर्म, अध्यात्म, खान-पान, रस्म व रिवाज, आचार-व्यवहार और राजनीति आदि की जिन-जिन बातों की इस्लाम अनुमति देता है, वे वैध हैं यानी हलाल हैं और जिन बातों से रोकता है वे हराम यानी अवैध हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि वैध-अवैध का निर्धारण महत्वपूर्ण क्यों है और इसका निर्धारण आख़िर कौन करेगा?

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम व क़ानून आवश्यक होते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य

इतिहास गवाह है कि एक ओर जब धर्म, आध्यात्म, वैराग्य और सन्यास के संबंध में इन्सान ने अतिरेक से काम लिया, तो शारीरिक सुख को वर्जित ठहराया गया और विवाह अच्छा भोजन, वस्त्र और आभूषण आदि को हराम बना दिया गया। दूसरी ओर जब वह इसके विपरीत अति को पहुंचा तो हर वो चीज़ वैध हो गई जो आपको अच्छी लगे। यहां तक कि प्रचीन ईरान में सगे संबंधियों के बीच भी विवाह को वैध ठहरा दिया गया।
आज भी यदि खान-पान के संबंध में विचार करें तो अतिवाद यहां भी पाया जाता है। एक अति तो यह है कि हिंसक पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, चमगादड़ और कीड़े-मकोड़े तक खा लिए जाएं और दूसरी ओर केवल शाकाहार ही हलाल है। एक वर्ग विशेष तो दूध और शहद तक को हराम समझता है।

को उसकी इच्छानुसार आचरण करने की अनुमति हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। इसलिए मानव समाज को सुव्यवस्थित रखने और शांति की स्थापना के लिए वैध-अवैध (हलाल-हराम) का निर्धारण आवश्यक है। जहां तक दूसरे सवाल का संबंध है कि हलाल और हराम का निर्धारण कौन करे? तो इसका एक जवाब तो यह हो सकता है कि इसका निर्धारण मानव समाज स्वयं करे, लेकिन मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस संबंध में कभी भी संतुलन स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें निष्पक्षता का अभाव होता है। देश, काल और स्थानीय परिस्थितियां वैध-अवैध के निर्धारण को प्रभावित करती हैं। लिंग, समुदाय और राष्ट्रीयता का प्रभाव भी इस पर होता है। स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए वैध-अवैध का निर्धारण करे, मालिक नौकर के लिए और नौकर मालिक के लिए क़ानून बनाए, वर्तमान समय के लोग आने वाले समय के लिए क़ानून बनाएं तो उसमें निष्पक्षता न होने के कारण संतुलन आ ही नहीं सकता।

इतिहास गवाह है कि एक ओर जब धर्म, आध्यात्म, वैराग्य और सन्यास के संबंध में इन्सान ने अतिरेक से काम लिया, तो शारीरिक सुख को वर्जित ठहराया गया और विवाह अच्छा भोजन, वस्त्र और आभूषण आदि को हराम बना दिया गया। दूसरी ओर जब वह इसके विपरीत अति को पहुंचा तो हर वो चीज़ वैध हो गई जो आपको अच्छी लगे। यहां तक कि प्राचीन ईरान में सगे-संबंधियों के बीच भी विवाह को वैध ठहरा दिया गया। आज भी यदि खान-पान के संबंध में विचार करें तो अतिवाद यहां भी पाया जाता है। एक अति तो यह है कि हिंसक पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, चमगादड़ और कीड़े-मकोड़े तक खा लिए जाएं और दूसरी ओर केवल शाकाहार ही हलाल है। एक वर्ग विशेष तो दूध और शहद तक को हराम समझता है।



HALAL METHOD OF SLAUGHTERING CATTLE

इसलिए यह तो स्पष्ट है कि इन्सान द्वारा हराम-हलाल के निर्धारण से कभी भी शांति व संतुलन की स्थापना नहीं हो सकती। इस्लामी मान्यता के अनुसार हलाल-हराम का निर्धारण सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर ही कर सकता है। केवल वही जानता है कि इन्सान के भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। केवल वही

है जिसका ज्ञान पूर्ण और निरपेक्ष है, जो समय व परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता।

मनुष्य की प्रकृति में ईश्वर के होने, उसके अस्तित्व और उसकी भक्ति का भाव निहित है। यह उसके स्वभाव का अभिन्न अंग है। उसके मन में ये सवाल उठते ही हैं कि 'मैं कौन हूं? मुझे किसने पैदा किया है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा? व्यक्ति जब अपने अस्तित्व और बाहर की दुनिया पर नज़र डालता है तो समझ जाता है कि यह जगत, पृथ्वी पर जीवन और उसका अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह विराट ब्रह्मांड जोकि पूर्ण रूप से नियमबद्ध है और हमारे शरीर की संरचना, इसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियां एक बेहतरीन रचयिता और इसके स्रष्टा का पता देती हैं। ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता और स्वामी है, उसने ही पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कीं, इन्सान को पैदा किया और उसमें बुद्धि और विवेक रखा। विचार और कार्य करने की स्वतंत्रता दी और जीवन मृत्यु का सिलसिला बनाया ताकि वह हमारे कर्मों का मूल्यांकन करे कि कौन अच्छे कर्म करता है और कौन बुरे। क़ुरआन में ईश्वर का कथन है–

''अत्यन्त श्रेष्ठ और उच्च है वह जिसके हाथ में (जगत) का राज्य है, और वह हर चीज़ की सामर्थ्य रखता है। जिसने मौत और जिन्दगी को अविष्कृत किया ताकि तुम लोगों को आजमाकर देखे कि तुममें से कौन अच्छा कर्म करने वाला है, और वह प्रभुत्वशाली भी है और माफ़ करने वाला भी।''

(क़ुरआन, 67:1-2)

ईश्वर ने ही इन्सान की प्रकृति में नैतिक अनुभूति भी रखी है। उसके स्वभाव में पाप, पुण्य, अच्छे और बुरे के भेद का भाव भी मौजूद है। ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए हलाल-हराम का निर्धारण उसको परेशानी में डालने के लिए नहीं है, यह उसकी स्वतंत्रता का भी हनन नहीं है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हराम चीज़ों की सीमा न्यूनतम है और हलाल चीज़ों का विस्तार बहुत अधिक है। क़ुरआन में ईश्वर ने सभी पवित्र चीज़ों को खाने के लिए हलाल ठहराया है। लोगों को चाहिए कि वे क़ुरआन का अध्ययन कर ईश्वर द्वारा निर्धारित हलाल और हराम को समझने का प्रयत्न करें। जहां तक सवाल हलाल मीट का है, तो अधिकतर स्वास्थ्य विज्ञानी और चिकित्सक इस बात पर एकमत हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हलाल किया हुआ मीट ज़्यादा अच्छा होता है।

■■

ईश्वर ने ही इन्सान की प्रकृति में नैतिक अनुभूति भी रखी है। उसके स्वभाव में पाप, पुण्य, अच्छे और बुरे के भेद का भाव भी मौजूद है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हराम चीजों की सीमा न्यूनतम है और हलाल चीजों का विस्तार बहुत अधिक है। जहां तक सवाल हलाल मीट का है तो, अधिकतर स्वास्थ्य विज्ञानी और चिकित्सक इस बात पर एकमत हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हलाल किया हुआ मीट ज़्यादा अच्छा होता है।



हलाल



हराम





मुख्य स्तम्भ

सुफ़ियान अहमद

मूल्य-आधारित राजनीति के बिना संवैधानिक मूल्य कैसे हों साकार!

यह वर्ष संविधान का 75वां अमृत वर्ष है, लेकिन संविधान जब तक कोर्ट-कचहरियों की बहसों तक महदूद रहेगा, तब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र उपेक्षित विषय ही बना रहेगा। जब यह जन-सामान्य के हितों का रक्षक है, तो इसे आम-जन के विमर्श का विषय भी बनना चाहिए। सामान्य लोगों को भी यह जानना चाहिए कि संविधान विशेष है, तो क्यों और किसके लिए है?

संविधान पर अमल करना क़ानून का राज क़ायम करना होता है। संविधान विविधता में एकता को आधारभूत प्रावधान देता है। संविधान स्वतंत्रता को जन-जन तक पहुंचाने का पथ प्रशस्त करता है, परंतु उस पथ की सार्थकता तो पथिकों यानी 'हम भारत के लोगों' पर निर्भर करती है। संविधान में वंशानुगत सामंती-राजशाही के अंधेरों से निकाल ले जाने वाली लोक-पथ प्रदर्शक मशाल है। यह मशाल हमें थामनी ही पड़ेगी, लेकिन देश में मूल्यहीन राजनीति की बढ़ती प्रवृत्ति हमें निराश करती है, क्योंकि मूल्य-आधारित राजनीति के बिना संवैधानिक मूल्यों को साकार नहीं किया जा सकता है।

> **"संविधान में वंशानुगत सामंती-राजशाही के अंधेरों से निकाल ले जाने वाली लोक-पथ प्रदर्शक मशाल है। यह मशाल हमें थामनी ही पड़ेगी, लेकिन देश में मूल्यहीन राजनीति की बढ़ती प्रवृत्ति हमें निराश करती है, क्योंकि मूल्य-आधारित राजनीति के बिना संवैधानिक मूल्यों को साकार नहीं किया जा सकता है।"**

आजकल जिस तरह से राजनीतिक

दल प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़े जा रहे हैं और उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, उससे पता चलता है कि मूल्य-आधारित राजनीति तेज़ी से ख़त्म हो रही है। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। पहले चुनाव में लोग उम्मीदवार के चरित्र और सामाजिक छवि का आकलन करते थे, लेकिन आजकल मूल्य आधारित राजनीति की बात करना अपनी प्रासंगिकता खोता नज़र आ रहा है।



आज हम राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण देख सकते हैं। संसद और विधानसभाओं में आपराधिक तत्वों का प्रवेश बढ़ता जा रहा है। संसद और राज्य विधानसभाओं में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले लंबित हैं। अगर नेता आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, संसद में बैठते हैं और क़ानून बनाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम किस तरह का समाज और देश बनाएंगे और यह हमारी राजनीति के लिए कितना ख़तरनाक होगा।

दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार है जो हमारे चुनावों में आम है। चुनाव में भारी धन प्रयोग होता है। पंचायत और नगर परिषद या नगरपालिका और नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों के चुनावों में भी लोग लाखों रुपये ख़र्च करते हैं। संसदीय और विधानसभा चुनावों में करोड़ों रुपये ख़र्च किये जाते हैं और आजकल चुनाव काफ़ी ख़र्चीला मामला बन गया है।

केवल वे ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। ऐसी कई पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें टिकट देती हैं। मतदाताओं को पैसे और अन्य चीज़ों का लालच देकर ख़रीदा जाता है। हमारी चुनाव प्रणाली अभी भी पैसे की ग़ुलामी से मुक्त नहीं हुई है और यही कारण है कि हम चुनावों में पैसे का इस्तेमाल कई तरह से देख सकते हैं।

इसके अलावा कॉरपोरेट जगत भी चुनावों में अपना पैसा लगाता है। इसलिए, जब कॉर्पोरेट राजनीतिक नेताओं या पार्टियों को पैसा देते हैं, तो ज़ाहिर है कि वे निवेश किए गए पैसे से कई गुना अधिक बदले में पाने की कोशिश करेंगे।

इसलिए, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और बनाए गए क़ानूनों में कॉरपोरेट्स का अपना अधिकार होगा, भले ही वह लोगों के ख़िलाफ़ हो। हमने पहले भी देखा है और पिछले 10 वर्षों में भी देखा है कि राजनीति पर नियंत्रण रखने वाले कॉरपोरेट मज़बूत होते जा रहे

सवाल उठता है कि आम नागरिकों को मूल्य-आधारित राजनीति सुनिश्चित करने में क्या भूमिका निभानी चाहिए? इसका जवाब यह है कि हम नागरिकों को देश के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में सतर्क रहना चाहिए और राजनीति में किस तरह के लोगों को आना चाहिए इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। लोगों का नज़रिया बदलेगा तो राजनीतिक दल भी राजनीतिक सुधार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन आज का मतदाता ईमानदार नहीं है और सही मायनों में अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उसे यह समझना होगा कि उसका वोट बहुत क़ीमती है।



हैं। यह बहुत ही ख़तरनाक है।

चुनावी राजनीति में पैसे की बढ़ती भूमिका से एक और पहलू उभर कर सामने आ रहा है, वह है चुनावी बांड। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सत्ता में रहने वाली पार्टी को कुल चुनावी बांड का लगभग 65 से 70 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। इसकी तुलना में अन्य दलों को जो मिला है वह बहुत कम है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है, लेकिन चुनावी पारदर्शिता के मामले में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया यह है कि किस पार्टी को किस स्रोत से कितना पैसा मिला है, इसे सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है। यह हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी ख़ामी है, क्योंकि समय-समय पर इसका दुरुपयोग होता रहेगा। इस प्रकार, हमारी चुनावी राजनीति में धन की भूमिका दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।

ऐसे में सवाल उठता है कि पैसे की बढ़ती भूमिका को देखते हुए क्या आजकल एक आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना संभव है? एक निर्धन व्यक्ति संसद या विधानसभा चुनाव के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन वह चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्या पैसे पर आधारित यह भेदभाव नागरिकों को समान बना पाएगा?

जिसके पास अधिक पैसा है उसके पास अधिक अधिकार, अधिक विकल्प, अधिक अवसर हैं। हमारी राजव्यवस्था पैसे की ग़ुलाम बन गयी है। यह हमारे लोकतंत्र का बहुत कमज़ोर पक्ष है।

पैसे की भूमिका के अलावा अवसरवादी राजनीति की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जोकि मूल्य-आधारित राजनीति की अवधारणा को कमज़ोर करती है। इसका मतलब है कि अवसरवादी नेताओं के पास कोई मूल्य नहीं है, उनके पास कोई नीति, कोई दृष्टि और कोई विचारधारा नहीं है। अवसरवादिता हमारी राजनीति का एक बड़ा कारक है जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर कर रही है।

एक अन्य कारक जो हमारी

राजनीति पर हावी है वह है जाति कारक। हमारे अधिकांश राज्यों में जाति कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे जातियां हों, समूह हों या समुदाय हों, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। इससे हमारा लोकतंत्र मज़बूत होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक समुदाय या जाति की जनसंख्या तो अधिक हो, लेकिन उस समुदाय या जाति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व न हो, तो निःसंदेह हमारा लोकतंत्र प्रभावित होगा।

एक और कारक जो बहुत ख़तरनाक है वह है सांप्रदायिक राजनीति या नफ़रत की राजनीति, जो समाज को धर्म के आधार पर बांटती है, एक विशेष धर्म के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करती है और पूरे समाज को उसके ख़िलाफ़ लामबंद करके उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाती है। अब तो संसद में भी नफ़रत-भरी भाषा का इस्तेमाल होने लगा है।

नफ़रत फैलाने वालों को आजकल बड़ा राष्ट्रवादी कहा जाता है। वह जितना मुस्लिम विरोधी होगा उतनी ही तेज़ी से उसका राजनीति में विकास होगा। नफ़रत और ध्रुवीकरण की यह राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति एक विशेष समुदाय को लक्ष्य करके की जाती है। अगर इसे नहीं रोका गया तो शायद इससे इस देश को और भी ज़्यादा नुक़सान होगा।

इस मामले में निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं। आज हमारी अदालतें भी इतनी सशक्त नहीं हैं कि ऐसी चीज़ों से निपट सकें। उनकी ज़िम्मेदारी है और उन्हें घृणा फैलाने वाले भाषणों को रोकने का प्रयास करना चाहिए।

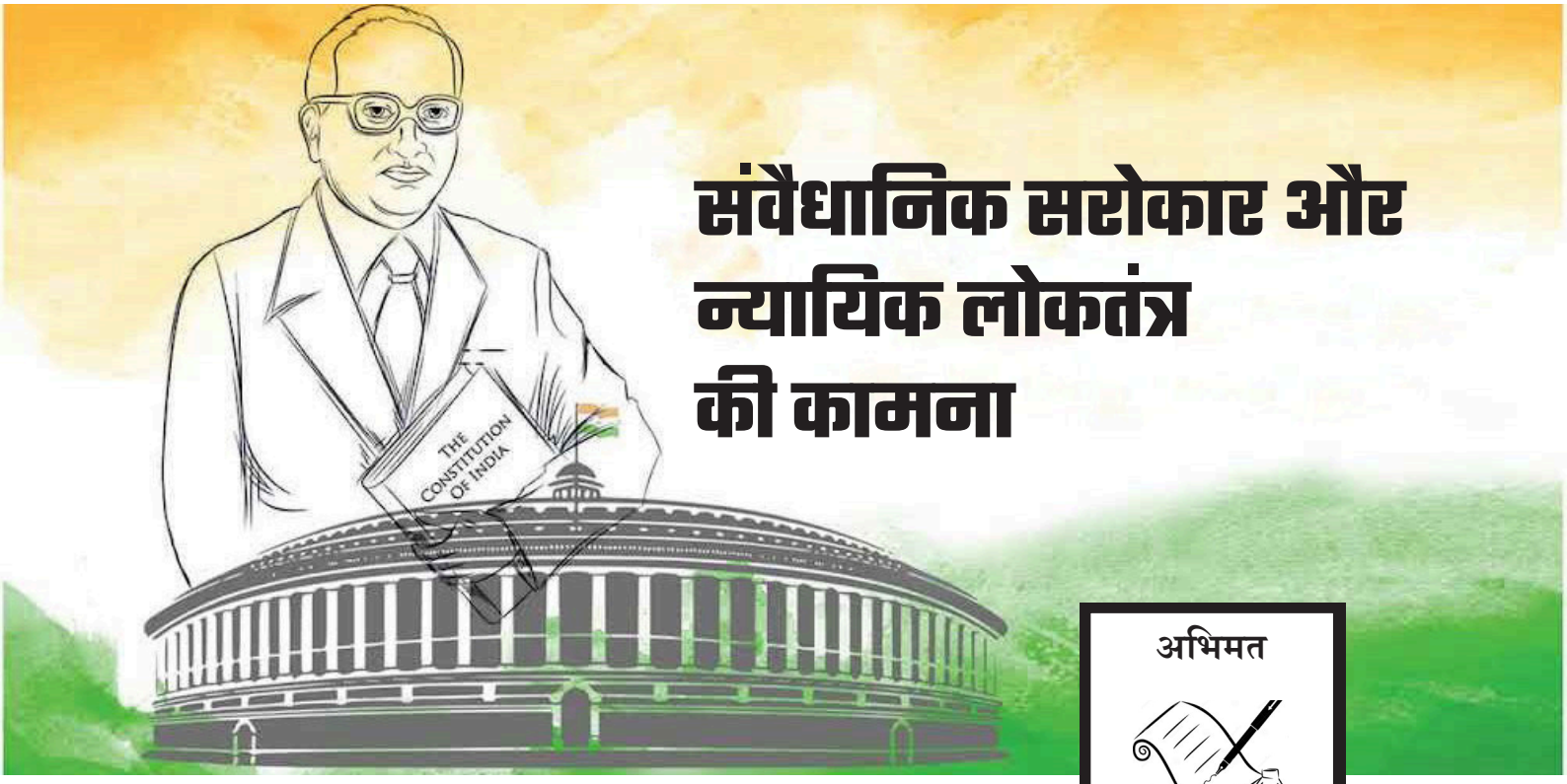
हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक लोग इस तरह की राजनीति को ख़ारिज नहीं कर देते। यदि ऐसे लोग राजनीति में आते हैं तो यह हमारे देश का नुक़सान होगा, लेकिन लोगों में इसके प्रति जागरूकता का अभाव है।

सवाल उठता है कि आम नागरिकों को मूल्य-आधारित राजनीति सुनिश्चित करने में क्या भूमिका निभानी चाहिए? इसका जवाब यह है कि हम नागरिकों को देश के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में सतर्क रहना चाहिए और राजनीति में किस तरह के लोगों को आना चाहिए इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। लोगों का नज़रिया बदलेगा तो राजनीतिक दल भी राजनीतिक सुधार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन आज का मतदाता ईमानदार नहीं है और सही मायनों में अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उसे यह समझना होगा कि उसका वोट बहुत क़ीमती है।

लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बदलाव के बिना प्रगति असंभव है और जो लोग अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। इस प्रकार देश की शांति और विकास के लिए नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ■■

हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक लोग इस तरह की राजनीति को ख़ारिज नहीं कर देते। यदि ऐसे लोग राजनीति में आते हैं तो यह हमारे देश का नुक़सान होगा, लेकिन लोगों में इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बदलाव के बिना प्रगति असंभव है और जो लोग अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। इस प्रकार देश की शांति और विकास के लिए नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।





संवैधानिक सरोकार और न्यायिक लोकतंत्र की कामना

अभिमत

सचिन कुमार जैन
(निदेशक, 'विकास संवाद' और सामाजिक शोधकर्ता)

कितनी विचित्र बात है कि जो संविधान देश को संचालित करने के लिए मूल्य आधारित व्यवस्था बनता है, देश का समाज उसी संविधान में दर्ज मूल्यों को हर क़दम पर चुनौती देता है। सरकार कैसे काम करेगी? कैसे चुनाव होगा? न्यायाधीश या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी? इन सब प्रावधानों का तो थोड़ा-बहुत ख़याल रखा भी जाता है; किन्तु व्यवस्था और समाज के स्वभाव में, उनकी कार्यशैली में न्याय, बंधुत्व, समानता, सहभागिता, स्वतंत्रता और करुणा के मूल्य कैसे प्रवाहित हों, इसके जतन आज़ाद भारत में हुए हों, ऐसा कम ही दिखाई देता है। जब सरकार यह मान ले कि एक शहर की सुन्दरता के लिए शहर के सभी बेघर-बार बुज़ुर्गों को शहर से दूर सुनसान इलाक़े में छोड़ दिया जाना चाहिए, तब दिल तो यही कहता है कि इस व्यवस्था में मानवीय मूल्यों का अंकुरण भी नहीं हो पाया है। जब एक सम्प्रदाय यह मानने लगे कि दूसरे सम्प्रदाय और उसके मानने वालों को बस्ती या प्रदेश में रहने नहीं दिया जाना चाहिए, तब यह एहसास पैदा होता है कि सम्प्रदाय में भी बुनियादी मानवीय मूल्य नहीं है।

> **"व्यवस्था और समाज के स्वभाव में, उनकी कार्यशैली में न्याय, बंधुत्व, समानता, सहभागिता, स्वतंत्रता और करुणा के मूल्य कैसे प्रवाहित हों, इसके जतन आज़ाद भारत में हुए हों, ऐसा कम ही दिखाई देता है।"**

हमारे समाज की ख़ूबसूरती का एक अहम पैमाना है विविधता। इसमें अलग-अलग समुदाय हैं, उनकी अपनी-अपनी संस्कृति है। उनकी अपनी-अपनी भाषाएं हैं। अपने-अपने त्यौहार और उत्सव हैं। वर्तमान समय में यह प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है कि आर्थिक विकास का मानव समाज में मौजूद विविधता के साथ क्या रिश्ता है? हमारी आर्थिक नीतियां मुनाफ़े के लिए विविधता के ठीक विपरीत व्यवहार करना सिखाती हैं।

हम मानते हैं कि हज़ारों वर्षों के इतिहास में भांति-भांति की चुनौतियों से जूझते हुए, चुनौतियों से निपटने के तरीक़े गढ़ते हुए मानव समाज ने ख़ुद अपनी संस्कृति रची है। भूगोल ने भी संस्कृति को एक

रूप देने में अहम भूमिका निभाई है और पारिस्थितिकी ने भी। एक समय आता है, जब सत्ता और नियंत्रण का राजनीतिक विचार संस्कृति के विकास की प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में लेने को आतुर दिखता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जब विविधता का सम्मान करते हुए सामाजिक व्यवहार को संगठित रूप दिया जाता है और जब मूल्यों से उनका श्रृंगार किया जाता है, तब ही संस्कृति और समाज की आभा निखर कर सामने आती है।

सामाजिक चरित्र को गढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मूल्य; मसलन समाज में निर्णय कैसे लिए जाएंगे, कोई एक व्यक्ति या परिवार निर्णय लेगा या निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबकी भूमिका और सहभागिता होगी यानी सहभागिता एक मूल्य है। कई लोगों और कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय बनता है। लोगों और परिवारों के बीच आपसी व्यवहार किस तरह का होगा, यह भी तो "मूल्यों" से ही तय होगा, यानी क्या हम मानवीय व्यवहार करेंगे या नहीं! हो सकता है कि कुछ परिवार विपन्न होंगे और उनके पास संसाधन नहीं होंगे। क्या ऐसे में वे अपने जीवन में गरिमामय व्यवहार और बुनियादी सेवाओं को हासिल करने या बुनियादी ज़रूरतों को पूर्ण करने से वंचित रहेंगे या फिर शासन और समाज मिलकर उनकी देख-रेख करेंगे; यही है इंसानियत का मूल्य।

मानवीय और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की शुरुआत "व्यक्ति की सोच और उसके व्यवहार" से होती है। जब तक शिक्षण व्यवस्था (केवल विद्यालय ही शिक्षा केंद्र नहीं होता है, एक बच्चा और एक व्यक्ति हर वक़्त और हर स्थान पर शिक्षित हो रहा होता है) में "मूल्य आधारित" व्यवहार के प्रति चेतना स्थापित नहीं होगी, तब तक धर्म और संविधान, दोनों के ही कोई मायने नहीं होंगे।



कुछ लोग ठंडे या बर्फीले इलाक़ों में रहते हैं, कुछ लोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में, कुछ लोग समतल इलाक़ों में, कुछ लोग समुद्री किनारों पर, क्या इन सभी जगहों पर भोजन की एक जैसी सामग्री का उत्पादन और उपलब्धता हो सकती है? क्या इन सभी जगहों पर पहनावा और रहन-सहन एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि सभी जगहों को एक ही नीति से संचालित करने की कोशिश की जाएगी, तो केवल दुःख का ही विस्तार होगा। ऐसी स्थिति में अलग-अलग समुदायों को उनके खान-पान, रहन-सहन के तरीक़ों के साथ सहजता से स्वीकार करना, उनसे बराबरी और गरिमा का व्यवहार करना, उनसे भेदभाव न करना; यानी विविधता का सम्मान करते हुए बंधुता का व्यवहार करना एक अहम मूल्य है।

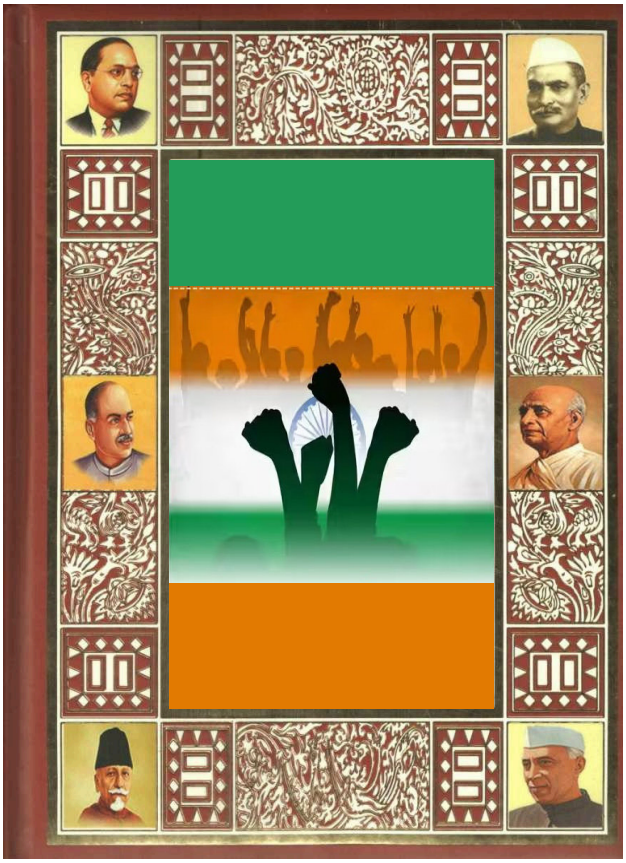
स्त्री और पुरुष, प्राकृतिक बनावट भर में भिन्न हैं, लेकिन उनके वजूद में, उनकी क्षमताओं में कोई अंतर नहीं हो सकता है। ऐसे में हर व्यक्ति के योगदान को अंतर्मन से महसूस करना और उसे स्वीकार करना; यह व्यवहार समानता के मूल्य का एक अंग ही तो है।

हम लगभग सभी स्थानों पर एक समूह में रोज़गार करते हैं या कोई भूमिका निभाते हैं। ऐसे स्थानों पर

अलग-अलग कौशल के लोग होते हैं। उनकी भूमिकाओं में भिन्नता होती है। इन भूमिकाओं में ऊंच-नीच या असमानता का न होना भी संस्थान में एक मूल्य आधारित अवस्था है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक संस्थाओं में समूह के बाक़ी सदस्यों को पानी पिलाने या चाय पिलाने या सफ़ाई करने की भूमिका निभाता हो, क्या इस काम को कमतर आंका जा सकता है? ज़रा सोचिए कि यदि उस संस्थान में बहुत उच्च कौशल का काम करने वाले व्यक्तियों को एक दिन काम के स्थान पर पीने का पानी या चाय न मिले, तब उन कौशल संपन्न व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी? ज़रा सोचिए कि यदि तीन दिन उस बड़े संस्थान का शौचालय साफ़ न किया जाए, तो संस्थान की स्थिति क्या होगी? उस व्यक्ति की भूमिका न होने पर संस्थान में बेहतर परिणाम देने के लिए बेहद ज़रूरी या कहें कि अनिवार्य "वातावरण" नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा, जो अन्य सभी व्यक्तियों की कार्य क्षमता को चोट पहुंचाएगा। ऐसे में पानी पिलाने या सफ़ाई करने के काम का मूल्यांकन एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में करना और उस व्यक्ति को समानता का दर्जा देना भी एक "मूल्य" ही है।

ज़रा सोचिये कि हम ऐसे समाज को "सभ्य" भी कैसे मान सकते हैं, जहां किशोरियों और महिलाओं में माहवारी जैसी प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया को भी भेदभाव और छुआछूत का साधन बना लिया जाता है। इस समाज में "स्त्रियों और लड़कियों को सबसे बाद में और सबसे कम खाने" के लिए बाध्य किया जाता है। सत्ता के इस स्वरूप को चुनौती देने का केवल एक ही माध्यम है मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में स्थापित करना।

इसी विषय से जुड़ा प्रश्न यह है कि क्या बलात्कार होने के बाद अपराधी को सज़ा दे दिया जाना ही "न्याय" है?



वास्तविकता तो यह है कि ऐसे समाज का निर्माण करना ज़रूरी है, जिसमें "बलात्कार" न हों, यानी "अन्याय" का न होना ही "न्याय" के मूल्य की स्थापना का सबसे अहम पहलू है।

इसी तरह किसी बच्चे की कुपोषण के कारण मृत्यु होना या किसी व्यक्ति की भूख के कारण मृत्यु होने के बाद "मामले की जांच" करवाना और फिर उनके परिवार को 100 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाना "न्याय" नहीं है; जब समाज और राज्य व्यवस्था में "न्याय का मूल्य" स्थापित होगा, तब बच्चों की कुपोषण या किसी व्यक्ति की भुखमरी से मृत्यु नहीं होगी।

यह उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है कि मानवीय और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की शुरुआत "व्यक्ति की सोच और उसके व्यवहार" से होती है। जब तक शिक्षण व्यवस्था (केवल विद्यालय ही शिक्षा केंद्र नहीं होता है, एक बच्चा और एक व्यक्ति हर वक़्त और हर स्थान पर शिक्षित हो रहा होता है) में "मूल्य आधारित" व्यवहार के प्रति चेतना स्थापित नहीं होगी, तब तक धर्म और संविधान, दोनों के ही कोई मायने नहीं होंगे। हमें ऐसा कोई धर्म नज़र नहीं आता, जो कहता हो कि बलात्कार करना जायज़ है, या जब कोई भुखमरी का शिकार हो, तो तत्काल समाज और राज्य को सक्रिय भूमिका नहीं निभाना चाहिए या किसानों को ज़मीन से बेदख़ल करके उनकी सम्पदा पूंजीपतियों के हवाले कर देना जायज़ है, या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की हत्या कर देना चाहिए या उसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। वास्तव में धार्मिक मान्यताओं को भी "मानवीय मूल्यों" के नज़रिये से महसूस किए जाने की ज़रूरत है। यह वक़्त मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को अपने व्यवहार के केंद्र में लाने का है। ■■ *(साभार : News18Hindi)*

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।



क्या हो

गणतंत्र का वास्तविक लक्ष्य?

निःसंदेह 'गणतांत्रिक मूल्य' किसी भी देश, समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों से तात्पर्य स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्शों से है। ये मूल्य अपने वृहद परिप्रेक्ष्य में किसी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते हैं जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक एवं लोकतांत्रिक बनाते हैं। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित किया, जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में दिखती है और जिसे व्यापक रूप में संविधान के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है, लेकिन आज की मूल्यविहीन राजनीतिक संरचना में इनका घोर अभाव दिखाई

समाधान



डॉ. प्रदीप कुमार

देता है, जिस कारण हमारा गणतंत्र अपने वास्तविक लक्ष्य से पीछे रह गया है।

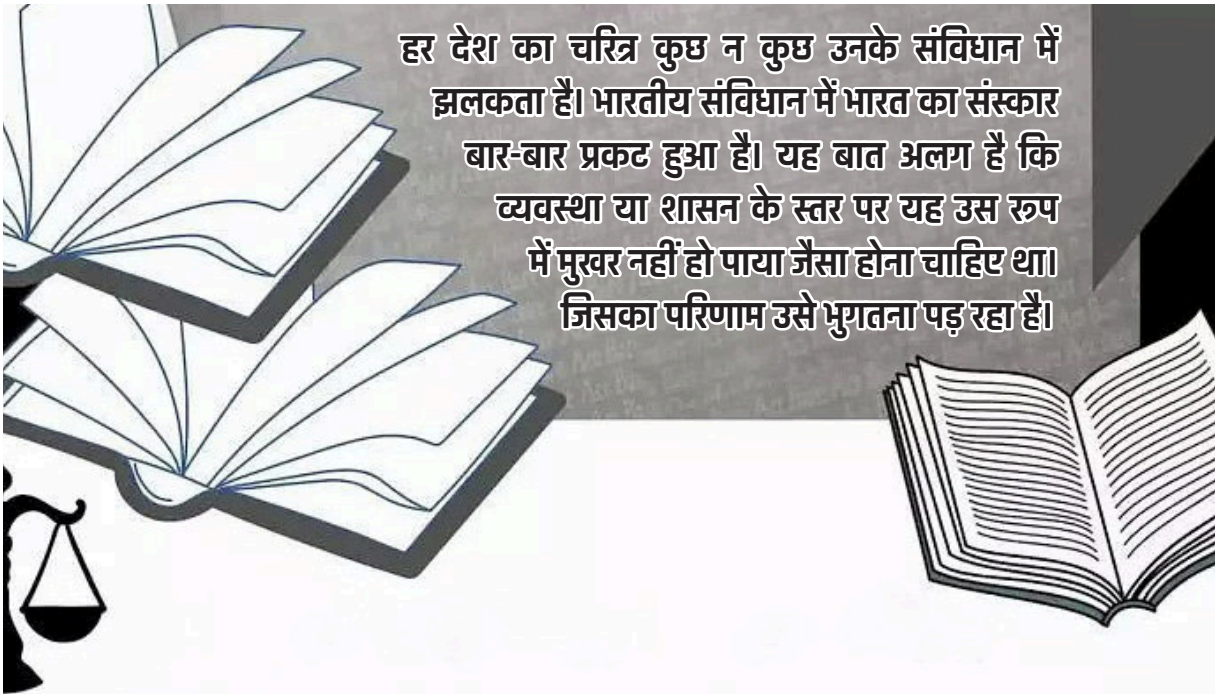
हमारे संविधान के उद्भव और विकास की यात्रा ख़ासी जटिल रही है। संविधान सभा में जब संविधान के स्वरूप पर बहस हो रही थी तो उसके निर्माताओं ने हमारे असमान सामाजिक ढांचे की जटिलता का संज्ञान लेते हुए उन्हें नागरिकों में हिलोरे ले रही आकांक्षाओं के साथ संबद्ध किया। यदि आप संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति-निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आदि का थोड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें व्यक्ति के साथ प्रकृति के सारे अवयवों को ध्यान में रखा गया है।

हर देश का चरित्र कुछ न कुछ उनके संविधान में झलकता है। भारतीय संविधान में भारत का संस्कार बार-बार प्रकट हुआ है। यह बात अलग है कि व्यवस्था या शासन के स्तर पर यह उस रूप में मुखर नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है।

आज विश्व की मानक संस्थाओं द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक में भारत काफ़ी

पिछड़ता जा रहा है। आज भारत दोषपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में शामिल है।

वास्तव में बहुत कुछ ऐसा है जो गणतंत्र के रूप में हमें किसी भी स्तर पर संतुष्ट नहीं करता। कई मायनों में तो हम चुनावी लोकतांत्रिक लक्ष्यों से विलग ही हो गए हैं। तंत्र में प्रतिष्ठा एवं गरिमा पद, पैसे और अन्य प्रकार के प्रभावों पर आधारित है। अनेक स्तरों पर तंत्र का व्यवहार आम और विशिष्ट के साथ भेदभाव पूर्ण है। किसी सरकारी कार्यालय, थाना, अस्पताल आदि में



एक आम जन के साथ हो रहे व्यवहार तथा विशिष्ट के साथ होने वाले व्यवहार में अंतर बताता है कि तंत्र के लिए आज भी उसके गण यानी आमजन समान नहीं हुए हैं। जब तक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक हम स्वयं को सफल गणतंत्र नहीं कह सकते।

यह बात सही है कि कोई भी ऐसा समय नहीं रहा और न होगा, जहां समाज में अर्थ सहित अन्य योग्यताओं के मामले में सभी व्यक्ति समान होंगे, लेकिन यह स्थिति भी नहीं होनी चाहिए कि एक प्रतिशत लोगों का 70 प्रतिशत से अधिक धन और संसाधनों पर क़ब्ज़ा हो। सफल गणतंत्र वही है जहां प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और गरिमामय जीवन जीने का वातावरण उपलब्ध हो। उसमें यह न देखना पड़े कि कौन कितना धनवान, शिक्षित, कितने ऊंचे पद तथा पहुंच वाला है।

आज़ादी के बाद देश की अखंडता अवश्य बनी हुई है, लेकिन एकता नहीं। जिस राजनीति को एकता की स्थिति पैदा करनी थी, वही आज इसके विभाजन का कारण बन रही है। संसदीय प्रणाली में राजनीति को शीर्ष स्थान प्राप्त है, क्योंकि विधि और नीति निर्माण का दायित्व उसी का है। जब राजनीति इतनी भयावह विकृति का शिकार हो जाए तो फिर एकता ही नहीं तंत्र में गण की उपयुक्त गरिमा का पूरा लक्ष्य भी दुष्प्रभावित होता है।

दरअस्ल, भारतीय गणतंत्र को उसके मूल लक्ष्य यानी तंत्र में गण की महत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए जिस दिशा की आवश्यकता थी उसमें कतिपय कारणों से भटकाव आया है। हमने अपनी सोच और व्यवहार में कई प्रकार की विकृतियां पाल ली हैं।

उदाहरण के लिए गांधीजी ने कहा था कि धर्म राज्य की आत्मा है और धर्मविहीन राज्य उसी प्रकार है जैसे आत्माविहीन प्राणी। यह विचार अकेले उनका नहीं था। भारत तथा यहां धर्म की अवधारणा को समझने वाले सभी मनीषियों की सोच यही थी। धर्म हमें हर क्षण मनुष्य के रूप में अपने लक्ष्य और दायित्व के प्रति सचेत करता रहता है, लेकिन आज देश की राजनीति में धर्म का दुरुपयोग साफ़ तौर पर देखा जा सकता है।

धर्म की शिक्षा हमारे यहां मनुष्य को नैतिक तथा ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव पैदा करती है। यहीं से हर व्यक्ति के साथ प्रत्येक जीव के अंदर एक ही आत्मतत्व का बोध पैदा कर सबके

“धर्म की शिक्षा हमारे यहां मनुष्य को नैतिक तथा ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव पैदा करती है। यहीं से हर व्यक्ति के साथ प्रत्येक जीव के अंदर एक ही आत्मतत्व का बोध पैदा कर सबके साथ संवेदनशील संबंध की स्थापना करता है। इससे उत्पन्न दायित्व बोध के माहौल में तंत्र में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा गरिमा विरुद्ध व्यवहार की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। यह धन संचय के साथ पद और प्रभाव की लिप्सा को भी संयमित करता हैं। भारतीय संदर्भ में सेकुलरवाद यानी पंथनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का अधार्मिक होना क़तई नहीं। इसका अर्थ इतना ही है कि राज्य मज़हब या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।”



साथ संवेदनशील संबंध की स्थापना करता है। इससे उत्पन्न दायित्व बोध के माहौल में तंत्र में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा गरिमा विरुद्ध व्यवहार की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। यह धन संचय के साथ पद और प्रभाव की लिप्सा को भी संयमित करता है। भारतीय संदर्भ में सेकुलरवाद यानी पंथनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का अधार्मिक होना क़तई नहीं। इसका अर्थ इतना ही है कि राज्य मज़हब या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

तंत्र एवं संविधान के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो हमें बताते हैं कि हम से चूकें हो रही हैं। इसे समझ कर इसके अनुरूप नीति निर्धारण, भूमिका और दिशा-निर्देशों में तंत्र की सोच और व्यवहार को बदले तो गणतंत्र का वास्तविक लक्ष्य हासिल हो सकता है तथा संविधान और व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बहाल हो सकता है।

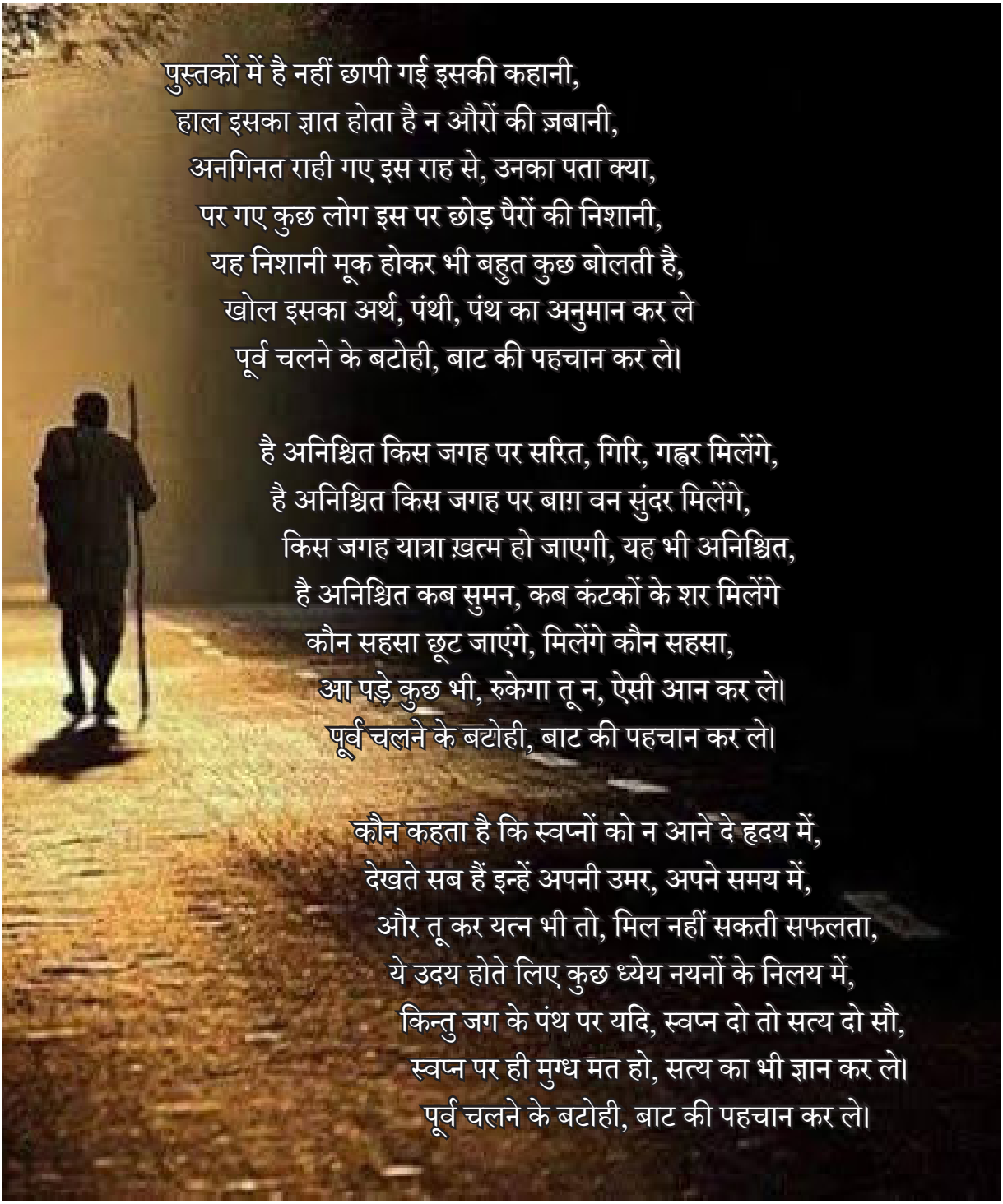
उचित यह होगा कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि संविधान की उन ख़ामियों को दूर किया जाए जिनके चलते लोग उसके प्रति सच्चे मन से अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि संविधान के प्रति लोगों की आस्था को सुदृढ़ करना है तो विभिन्न स्तरों पर संवैधानिक मूल्यों की जो उपेक्षा हो रही है, उनके कारणों की पहचान कर उनका निवारण करना होगा।

■■

हरिवंश राय बच्चन

कविता

पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले



पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी,
हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी,
अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या,
पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी,
यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है,
खोल इसका अर्थ, पंथी, पंथ का अनुमान कर ले
पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले।

है अनिश्चित किस जगह पर सरित, गिरि, गह्वर मिलेंगे,
है अनिश्चित किस जगह पर बाग़ वन सुंदर मिलेंगे,
किस जगह यात्रा ख़त्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित,
है अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के शर मिलेंगे
कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा,
आ पड़े कुछ भी, रुकेगा तू न, ऐसी आन कर ले।
पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले।

कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में,
देखते सब हैं इन्हें अपनी उमर, अपने समय में,
और तू कर यत्न भी तो, मिल नहीं सकती सफलता,
ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में,
किन्तु जग के पंथ पर यदि, स्वप्न दो तो सत्य दो सौ,
स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले।
पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले।



महाझूठ पर नकेल

समसामयिक



संपादन प्रभाग

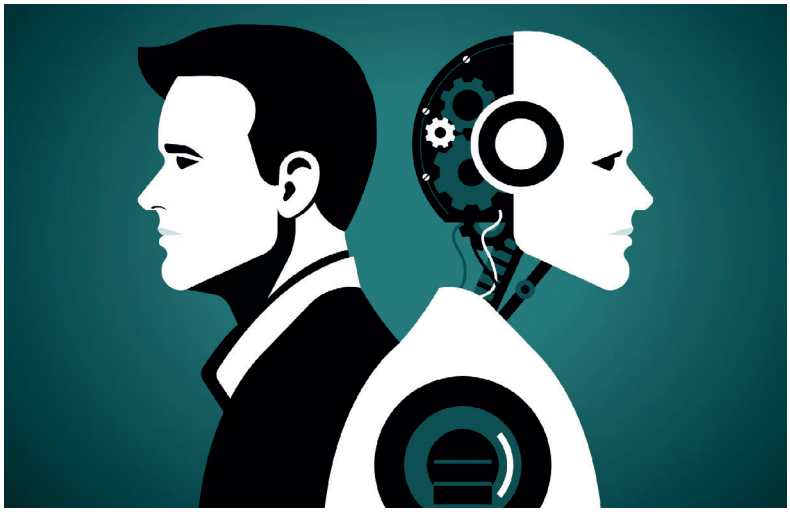
डीपफेक अर्थात् महाझूठ के ख़िलाफ़ आज दुनियाभर के देश क़ानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। इस कड़ी में हाल में ही यूरोपीय संघ द्वारा उठाया गया क़दम स्वागतयोग्य है। यूरोपीय संघ ने आर्टिफ़िशल इंटेलिजेंस (एआई) अधिनियम पारित कर दिया है। यह दुनिया भर में एआई से संबंधित पहला क़ानून है और नियमन तथा निगरानी का एक मॉडल मुहैया कराता है। यह एआई नियमन पर वैश्विक सहमति का मानक भी बन सकता है। भारत भी इस समय इस दिशा में प्रयासरत है और वर्तमान में चल रही एआई वैश्विक साझेदारी शिखर बैठक (जीपीएआई) में इस विषय पर घोषणा दस्तावेज़ लाने का प्रयास कर रहा है। एआई ने कई क्षेत्रों में विनिर्माण को किफ़ायती बनाया है। इसकी वजह से दवाओं की खोज तेज़ हुई है तथा पदार्थ विज्ञान शोध में नई पहल हुई है। वैज्ञानिक शोध से लेकर स्वायत्त परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और बीमारियों की खोज तक एवं स्मार्ट पावर ग्रिड से लेकर वित्तीय तंत्र और दूरसंचार नेटवर्क समेत यह निजी और सार्वजनिक सेवाओं के स्तर पर बहुत उपयोगी साबित हो सकती है।

परंतु एआई आपराधिक गतिविधियों की वजह भी बन सकता है। यह अधिनायकवादी सत्ता के हाथ में अधिक अधिकार देता है। चेहरे को तत्काल पहचानने की क्षमता, व्यापक निगरानी उपाय और भेदभावकारी सामाजिक अंकेक्षण तंत्र इसकी बानगी हैं। कई सैन्य ऐप्लिकेशन से भी ख़तरे सामने आ सकते हैं जो ऐसे स्वचालित हथियार बनाने में मददगार हो सकती हैं जहां इंसानी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। यह स्वचेतन एआई की साइंस-फिक्शन की संभावनाओं से एकदम अलग है जिसमें माना जा रहा है कि वह अपनी प्रकृति को तार्किक ढंग से समझता है और जिज्ञासा के साथ सीखकर काम करता है। ऐसी चिंताओं से समग्रता के साथ निपटा जाना चाहिए और विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे नियमन को लेकर सहमति होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि एआई का बहुत तेज़ी से चौतरफ़ा प्रसार होता है। आदर्श स्थिति है नियंत्रण की निगरानी और नुक़सान की संभावना को कम करना। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि शोध तथा लाभकारी एआई की शुरुआत पर असर न पड़े। यूरोपीय संघ के नियमन एआई के लिए एक तकनीक निरपेक्ष, एकरूप परिभाषा स्थापित करने का प्रयास करते हैं जो भविष्य की

आदर्श स्थिति है नियंत्रण की निगरानी और नुक़सान की संभावना को कम करना। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि शोध तथा लाभकारी एआई की शुरुआत पर असर न पड़े। यूरोपीय संघ के नियमन एआई के लिए एक तकनीक निरपेक्ष, एकरूप परिभाषा स्थापित करने प्रयास करते हैं जो भविष्य की प्रणालियों पर लागू होंगी। यह अहम है क्योंकि तकनीक का उद्भव बहुत तेज़ गति से हो रहा है।

प्रणालियों पर लागू होंगी। यह अहम है क्योंकि तकनीक का उद्भव बहुत तेज़ गति से हो रहा है। अवधारणात्मक ढांचा एआई प्रणालियों को जोखिम के अनुसार वर्गीकृत करता है। जोखिम जितना अधिक होगा, निगरानी उतनी ही सख़्त होगी और प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के दायित्व उतने ही अधिक होंगे।

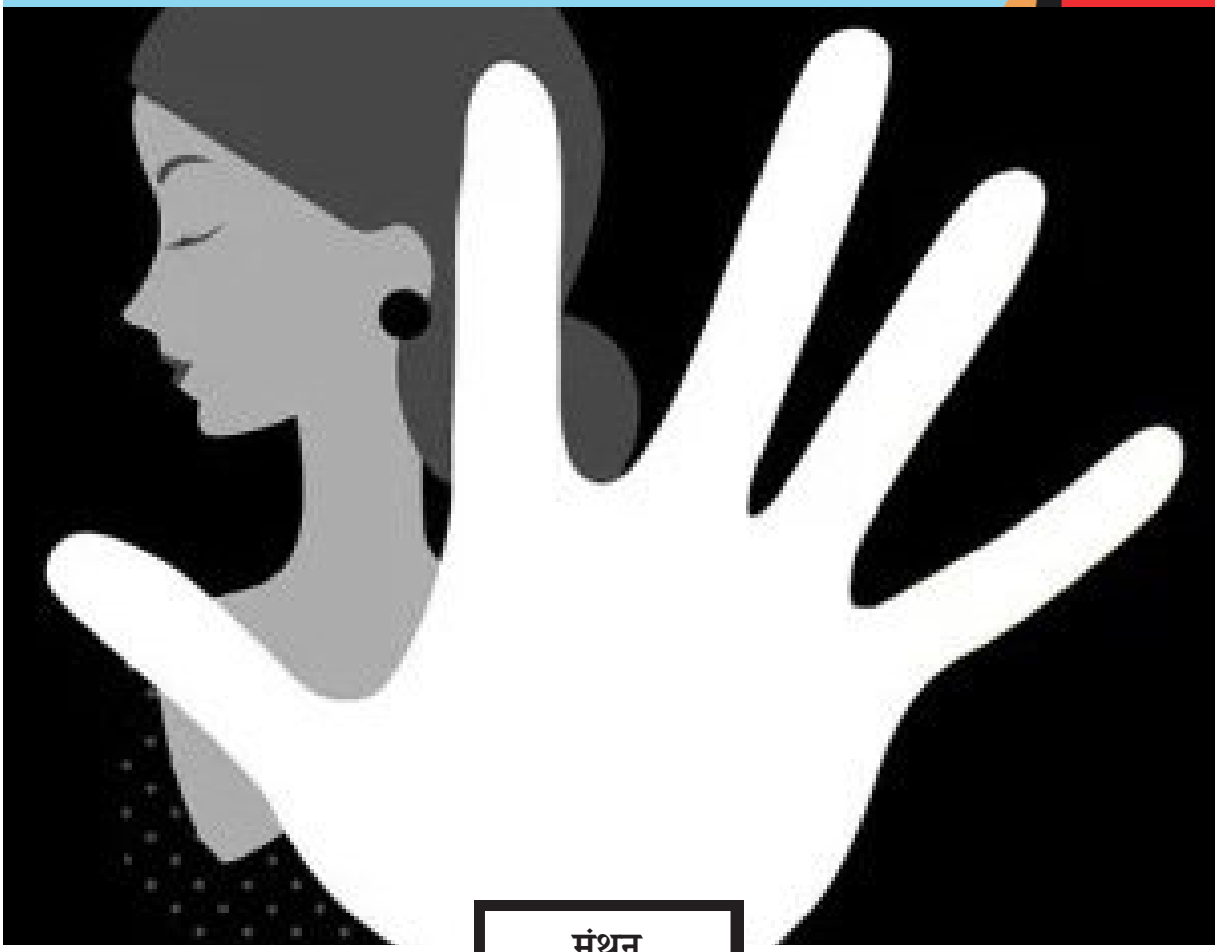
सीमित जोखिम वाली व्यवस्था को पारदर्शिता की ज़रूरत के साथ अनुपालन वाला होना चाहिए जो एआई अधिनियम के साथ सूचित निर्णयों की इजाज़त देता है। उपयोगकर्ताओं को यह पता होना चाहिए कि वे कब एआई से संवाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चित्र, ध्वनि या वीडियो सामग्री तैयार करने वाले सिस्टम या डीपफेक आदि। पारदर्शिता की ज़रूरतों में यह ख़ुलासा भी शामिल है कि कोई सामग्री एआई से तैयार की गई है। यूरोपीय संघ का क़ानून कहता है कि सुरक्षा अथवा बुनियादी अधिकारों को प्रभावित करने वाली एआई प्रणालियों को अत्यधिक जोखिम वाला माना जाता है और उसे दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है खिलौनों, विमानन, कारों, चिकित्सा उपकरणों और लिफ्ट आदि में इस्तेमाल होने वाली एआई और दूसरा विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली एआई जिसे यूरोपीय संघ के डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए। इसमें बायोमेट्रिक पहचान, अहम अधोसंरचना, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा एआई द्वारा प्रबंधित ज़रूरी निजी सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। ऐसे जोखिम वाले एआई उत्पादों को पेश करने के पहले समुचित आकलन किया जाना चाहिए।



कुछ प्रणालियां जो अस्वीकार्य जोखिम वाली हैं उन्हें इस क़ानून में प्रतिबंधित किया गया है। इसमें लोगों के संज्ञानात्मक व्यवहार को बदलने या संवेदनशील समूह को प्रभावित करने वाले ऐप्लिकेशन शामिल हैं। उदाहरण के लिए ख़तरनाक व्यवहार को बढ़ावा देने वाले खिलौने, ऐसा सामाजिक अंक जो लोगों को उनके व्यवहार, सामाजिक आर्थिक दर्जे या गुणों के आधार पर बांटे। रियल टाइम या रिमोट बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियों मसलन चेहरे की पहचान आदि का इस्तेमाल केवल अदालत की मंज़ूरी से किया जा सकेगा वह भी केवल गंभीर अपराध के मामलों में पहचान के लिए। कतिपय क्षेत्रों में इस ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी और इसमें सैन्य शोध एवं विकास शामिल नहीं है इसके बावजूद यह एक आधार रेखा मुहैया कराता है जिस पर पूरी दुनिया सहमत हो सकती है। जीपीएआई में इसके कुछ संस्करणों को अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए और भारत को घरेलू लाइसेंसिंग इसी तर्ज़ पर शुरू करनी चाहिए।

इस संबंध में भारत में भी आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया मंचों को दो पत्र भेजकर उनकी ज़िम्मेदारी की याद दिलाई है। तकनीकी तरक़्क़ी और ख़ासकर एआई के साथ मिलकर महाझूठ दुनिया के लिए दिनों-दिन ख़तरनाक होते चले जाएंगे। अतः अगर हम समय रहते जाग जाएं, तो सबके लिए बेहतर होगा। ■■

सतत सामाजिक संकट



मंथन



जितेंद्र गौतम

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में एक बार फिर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की चिंताजनक तस्वीर उभरी है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि भले ही सरकार महिला सशक्तीकरण का कितना ही दंभ क्यों न भरे, पर वास्तविकता यही है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के मामलों में कोई सुधार नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। दिल्ली में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की दर सर्वाधिक बताई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2022 में महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं के 4,45, 256 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 4,28,278 और 2020 में 3,71,503 था। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं के ये मामले 2021 की तुलना में क़रीब चार फ़ीसद ज़्यादा है। अन्य राज्यों के मुक़ाबले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में सर्वाधिक प्राथमिकी दर्ज हुई। हालांकि महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है, जो लगातार तीसरे साल भी उन्नीस महानगरों में सबसे आगे है।

प्रायः सभी राजनीतिक दल चुनावों के दौरान घोषणा करते हैं कि सत्ता में आने के बाद वे महिलाओं की सुरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित करेंगे, मगर हक़ीक़त इससे कोसों दूर है। महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर हर साल सामने आते एनसीआरबी के आंकड़े हर बार बेहद अफ़सोसनाक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं,

जिनसे साफ़ पता चलता है कि महिलाएं स्वयं को कहीं भी सहज और सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, जहां महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों में बढ़ोत्तरी न हुई हो।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम दावों, वादों और नारों के बाद भी आख़िर देश में ऐसे अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? यह कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देने वाले देश में भी महिलाओं को भय के वातावरण में जीना पड़ता है। वे न अपने परिवार में, न आस-पड़ोस में और न ही बाहर के वातावरण में ख़ुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े देखें तो आयोग ने तेज़ाब हमले, महिलाओं के ख़िलाफ़ साइबर अपराध, दहेज हत्या, यौन शोषण और दुष्कर्म जैसी कुल चौबीस श्रेणियों में शिकायत दर्ज की। सर्वाधिक शिकायतें गरिमा के साथ जीने के अधिकार को लेकर दर्ज की गई, उसके बाद घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़खानी और बलात्कार की शिकायतें हैं।

एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक़ 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं पर अपराध में चार फ़ीसद का इज़ाफ़ा हुआ है। यह बढ़ोत्तरी मामूली लग सकती है, लेकिन इसी अवधि में संज्ञेय अपराधों में आई 4.5 फ़ीसद की कमी के बरअक्स देखें तो यह अच्छी ख़ासी वृद्धि है। वर्ष 2022 में कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे 51 प्राथमिकी दर्ज की गईं। इसके बावजूद यह चौंकाने वाला आंकड़ा शायद काफ़ी हद तक सीमित तस्वीर पेश करता है और केवल उन्हीं अपराधों के बारे में बताता है जिन्हें दर्ज किया गया।

यह बात हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों की जानकारी देने के लिए सामने नहीं आतीं। इसकी कई वजह हैं जिनमें सामाजिक शोषण से लेकर व्यक्तिगत ख़तरा, हठधर्मिता



और पुलिस तथा न्यायपालिका की उदासीनता तक शामिल हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि संकट कहीं अधिक गंभीर है।

आंकड़े बताते हैं कि हमारा देश अपनी आधी आबादी की तरक़्क़ी की गारंटी नहीं दे पा रहा है। यह एक अंतर्निहित सामाजिक संकट का संकेत है जो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा वाले हमारे देश को प्रगतिशील समाजों की सूची में पीछे धकेलता है।

माना जाता है कि शहरों में क़ानून-व्यवस्था से लेकर अन्य उपायों की वजह से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से स्थितियां बेहतर हैं, मगर विडंबना है कि गांवों के मुक़ाबले शहरों और महानगरों में स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक हुई है। स्त्रियों का जीवन महानगरों की अपेक्षा ज़्यादा जोखिम से गुज़र रहा है।

जिस दौर में देश के हर स्तर पर आगे बढ़ने और व्यवस्था में बड़े बदलाव का हवाला दिया जा रहा है, उसमें महिलाओं के जीवन पर जोखिम में लगातार बढ़ोत्तरी कैसे हो रही है! आमतौर पर सभी सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेक घोषणाएं करती रहती हैं। मगर साफ़ देखा जा सकता है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से लेकर जितने भी क़दम उठाए जाते हैं, उससे ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन को सहज और सुरक्षित बनाने में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है।

आख़िर क्या कारण है कि आज भी घर से बाहर आवाजाही के रास्तों से लेकर काम की जगहों, यहां तक कि घरों के भीतर भी महिलाओं को बहुस्तरीय जोखिम का सामना करना पड़ रहा है? सवाल है कि वक़्त के साथ चतुर्दिक विकास, नए सख़्त क़ानूनी प्रावधान और व्यवस्थागत सुधार के बीच महिलाएं कहां हैं? हक़ीक़त यह है कि हर अगले साल

एनसीआरबी के आंकड़ों से लेकर सभी अध्ययनों में यही अफ़सोसनाक तस्वीर होती है कि महिलाएं कहीं भी ख़ुद को सुरक्षित और सहज महसूस नहीं कर पातीं। क़ानून-व्यवस्था, पुलिस-प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध करने वालों के भीतर शायद ही कभी ख़ौफ़ दिखता हो।

सामाजिक विकास का सवाल हाशिये पर होने की वजह से आम लोगों के भीतर भी स्त्रियों और उनके मुद्दों को लेकर ज़रूरी संवेदनशीलता का अभाव दिखता है। अगर देश की महिलाएं हर



जगह ख़ुद को असुरक्षित पाती हैं, तो विकास के आंकड़ों और दावों का क्या मतलब रह जाता है?

ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर इन पर कैसे लगाम लगे? सबसे पहले, लंबित मुक़दमों का जल्द निपटारा होना चाहिए। क़ानून होने के बावजूद महिला या बच्चों से जुड़े अपराध इसलिए कम नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों को न्याय मिलने में देर हो जाती है, इससे क़ानून बेअसर साबित होने लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी महिलाओं से जुड़े जो क़ानून हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनके उचित क्रियान्वयन के अभाव में वे पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं।

जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी गंभीरता से काम होना चाहिए। महिलाओं से जुड़ी जानकारी का दायरा बढ़ाना होगा, ख़ासकर लड़कों व पुरुषों को यह पता होना चाहिए कि महिलाओं से जुड़े कौन से मसले अपराध के दायरे में आते हैं। सूचना जनसंपर्क जैसे विभागों को महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा को रोकने के उपाय गांव-गांव में प्रसारित करने चाहिए।

इस संबंध में पुलिस-प्रशासन को कहीं अधिक संवेदनशील बनाना होगा, विशेषकर छोटे क़स्बों और गांवों में महिला अथवा बाल अपराध के मामले बिना किसी रुकावट के दर्ज हो सकें, इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी।

ज़रूरी यह भी है कि महिलाओं अथवा बच्चों को लेकर काम कर रही

जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी गंभीरता से काम होना चाहिए। महिलाओं से जुड़ी जानकारी का दायरा बढ़ाना होगा, ख़ासकर लड़कों व पुरुषों को यह पता होना चाहिए कि महिलाओं से जुड़े कौन से मसले अपराध के दायरे में आते हैं। सूचना जनसंपर्क जैसे विभागों को महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा को रोकने के उपाय गांव-गांव में प्रसारित करने चाहिए।

संस्थाओं को ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। संसाधनों के अभाव में ऐसी संस्थाओं की संख्या अब घटने लगी है। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दरकार है। इसे महज़ कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीपीआर) के रहमोकरम पर छोड़ना ग़लत होगा। आज समाज कल्याण बोर्ड, महिला आयोग जैसी तमाम संस्थाओं के बजट बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। दिक़्क़त यह भी है कि सरकारों को जितनी पहल करनी चाहिए, उतनी वे नहीं कर रही हैं। अगर वे आगे नहीं आएंगी, तो सुधार के प्रयास परवान नहीं चढ़ सकेंगे।

महिला व बाल अपराधों की दर निस्संदेह कम हो सकती है, पर इसके लिए पुलिस प्रशासन, महिला व बाल विकास जैसे मंत्रालयों को अहम भूमिका निभानी होगी तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र समग्रता से आगे आना होगा। ■■



कॉप-28

जलवायु से जुड़े सवाल

पर्यावरण



संपादन प्रभाग

हाल में दुबई में आयोजित कॉप-28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा क्षमता संकल्प पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मक़सद वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावॉट तक करना एवं ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हुए इसकी वैश्विक औसत वार्षिक दर दोगुना करना है। सम्मेलन में जलवायु संकट के सवाल पर जो चिंताएं ज़ाहिर की गईं, समस्या के हल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, भारत ने अपनी सीमा में उन सबसे सहमति जताई है।

यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बीते कई दशकों में जलवायु संकट पर जताई जाने वाली चिंता के समांतर तमाम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हल के उपायों पर ज़ोर देने के बावजूद यह समस्या लगातार गहराती गई है। इन हालात के लिए ग्रीनहाउस गैसों या कार्बन उत्सर्जन जैसे कारणों और उसमें विकसित देशों की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट रही है।

वैसे इस दिशा में हुई अभी तक की कोशिशें बेनतीजा रहीं हैं। ग़रीब देशों पर अपने यहां सुधार का दबाव है जबकि असली संकट बड़े देशों के कारण है, जिनसे अपेक्षा है कि वे ग़रीब देशों को आर्थिक मदद देंगे। यह सच है कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रारम्भिक पूंजी काफ़ी ज़्यादा लगती है, जिसमें विकासशील देश सक्षम नहीं हैं। रास्ता एक ही है-धनी देश आगे आकर उनकी मदद करें।

कुछ संस्थाओं की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार एक प्रतिशत अरबपति साल भर में जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उतना दुनिया के बाक़ी 99 प्रतिशत में से किसी भी एक को करने में 1500 साल लगेंगे। इस बीच यूएन की रिपोर्ट है कि इस वर्ष के 86 दिन तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री को पार कर दो डिग्री पहुंच गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तमाम तथाकथित कोशिशों के बावजूद वर्ष

2022 में कार्बन उत्सर्जन 57.4 अरब टन यानी 1.2 प्रतिशत ज़्यादा रहा। कोरोना में गतिविधि कम होने से 4.7 प्रतिशत कम हुआ था, लेकिन अब फिर यह आंकड़ा 2019 के रिकॉर्ड को पार कर चुका है।

दुनिया भर में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को लेकर पिछले कई वर्ष से लगातार चिंता जताई जा रही है। अब इसकी वजहें स्पष्ट हैं। मगर मुश्किल यह है कि जब भी उन वजहों को दूर करने की बात आती है, तो विकसित देश अपनी भूमिका को कम करके पेश करते हैं। और इसके हल के लिए उठाए जाने वाले क़दमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी विकासशील देशों पर थोप देते हैं।



जबकि समूची धरती पर जलवायु संकट जिस स्तर तक गहरा हो चुका है, उसमें मुख्य रूप से विकसित देशों की ज़िम्मेदारी अधिक रही है। इसके बावजूद इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हर बैठक या सम्मेलन में तीसरी दुनिया के या विकासशील देशों ने समस्या के समाधान को लेकर अपेक्षित गंभीरता दिखाई है, उसमें अपनी ओर से हर संभव योगदान किया है।

सच यह है कि बढ़ते तापमान और उसकी वजह से पैदा होने वाली पर्यावरणीय समस्या के पीछे विकसित देशों की ही भूमिका ज़्यादा है। ख़ासकर कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन को लेकर दुनिया भर में विशेष उपायों को अपनाने या लागू करने पर ज़ोर दिया जाता है। इस समस्या के बढ़ने में अपनी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी न होने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर जब भी कोई मानक तय किया गया, उस पर अमल के लिए विकासशील देशों ने अपनी ओर से हर संभव उपाय किए, सरोकार जताया, जबकि विकसित देशों ने अलग-अलग कारण बताकर इसमें भागीदारी निभाने को लेकर टालमटोल ही किया।

कई बार ऐसे मौक़े आए जब विकासशील देशों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के मामले में पर्यावरण असंतुलन की कसौटी बनाया गया। इसलिए ज़रूरी है कि जलवायु वित्तपोषण पर प्रगति इस मसले पर ज़रूरी कार्रवाई पर बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं के अनुरूप दिखनी चाहिए।

यह किसी से छिपा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए एकीकृत वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। जहां तक भारत का सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, वनीकरण जैसे कई क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां इसकी प्रतिबद्धता का सबूत हैं।

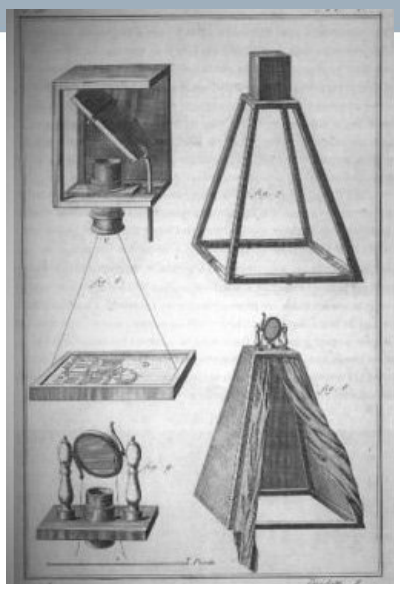
यह सब दरअस्ल, जलवायु संकट या बढ़ते तापमान की समस्या को दूर करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य से उठाए गए क़दम हैं। भारत के अलावा भी विकासशील देशों ने अपनी सीमा में इस मसले पर योगदान दिया है, ताकि इस वैश्विक चिंता से निपटने में मदद मिल सके। हालांकि यह समझना मुश्किल है कि बढ़ते तापमान को एक सबसे बड़े संकट के रूप में पेश करने वाले विकसित देश अपने यहां कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने या कम करने को लेकर ईमानदार पहल क्यों नहीं करते।

ज़रूरत इस बात की है कि जिन विकासशील देशों में इस समस्या के हल को लेकर अपेक्षित गंभीरता दर्शायी जा रही है, उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए। मगर जलवायु संकट में कमी तब तक संभव नहीं है, जब तक विकसित देश इस दिशा में ज़रूरी इच्छाशक्ति के साथ काम न करें।

विश्व के नेताओं को स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार की त्रुटियों से सबक़ लेने की आवश्यकता है ताकि नई बाज़ार व्यवस्था में पिछली ग़लतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। उत्सर्जन रोकने के प्रयासों में विफलता किसी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती। जलवायु परिवर्तन का संकट झेल रही दुनिया के लिए इस कठिन परिस्थिति से निकलना परम आवश्यक है। ■■

'हसन इब्न अल-हेथम'

"आधुनिक प्रकाशिकी का जनक"





हसन इब्न अल-हेथम इस्लामी स्वर्ण युग के वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध नामों में से एक हैं। इस दुनिया में आकर मुस्लिम वैज्ञानिकों और विचारकों ने अपने उत्कृष्ट कामों से इतिहास में नाम कमाया, इब्न अल-हेथम उन प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं और ये हमेशा लोगों के ज़ेहन में रहेंगे।

हसन इब्न अल-हेथम के बारे में–

हसन इब्न अल-हेथम (Hasan Ibn al-Haytham) जिनका लैटिन नाम अल्हाज़ेन (Al-hazen) है, इनका पूरा नाम 'अबू अली अल-हसन इब्न अल-हेथम' था। मध्ययुगीन यूरोप में, इब्न अल-हेथम को टॉल्मेयस सेकंडस (टॉलमी द्वितीय) या सिर्फ़ "भौतिक विज्ञानी" के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म सन् 965 में बसरा में हुआ था। हसन इब्न अल-हेथम एक अरब गणितज्ञ, खगोलविद और इस्लामी स्वर्ण युग के भौतिक विज्ञानी थे।

इबारत



संपादन प्रभाग

हसन इब्न अल-हेथम को अग्रणी वैज्ञानिक विचारकों में से एक माना जाता है। इब्न अल-हेथम ने विज्ञान के भौतिक प्रकाशिकी शाखा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हेथम ने दृश्य बोध (Visual perception), प्रकाशिकी (optics) और प्रकाश के सिद्धांतों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

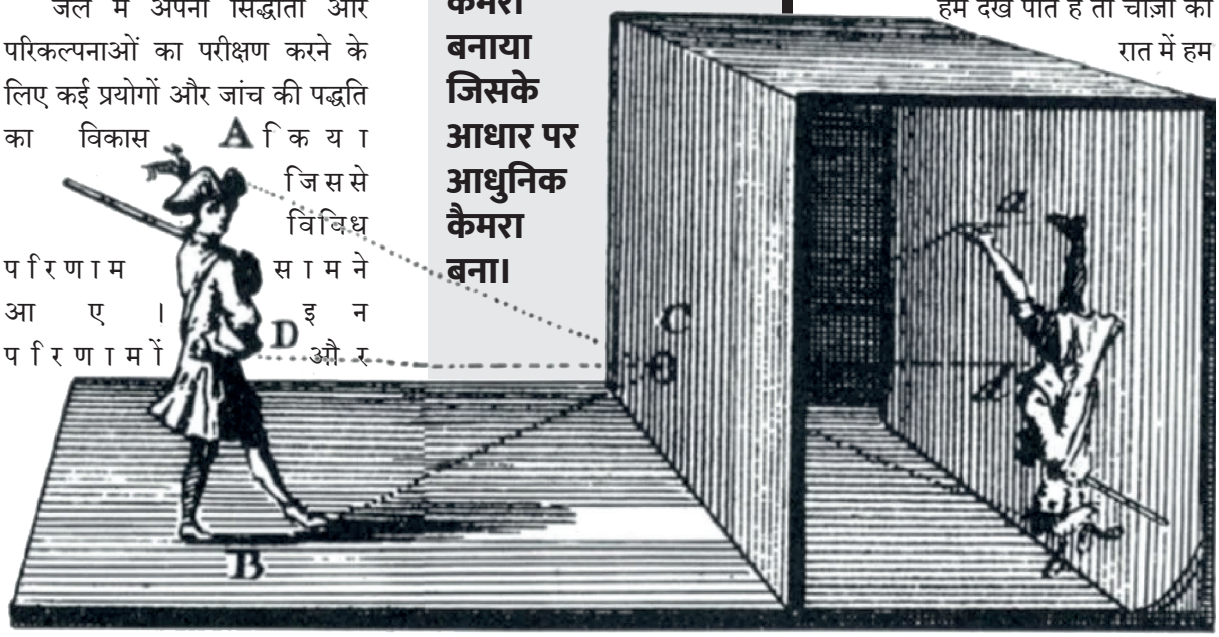
मिस्र के बादशाह द्वारा नील नदी पर एक बांध बनाने में मदद करने के लिए इब्न अल-हेथम को मिस्र आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैदान का दौरा

करने के बाद, उन्होंने इस परियोजना पर काम करने से इन्कार कर दिया और यह उनकी 10 साल की हिरासत का कारण बन गया।

जेल में हेथम को एक अंधेरे कमरे में रखा गया था जहां एक सुराख़ से थोड़ा-सा प्रकाश अंदर आता था। इस अंधेरे कमरे में प्रकाश के प्रवेश के विभिन्न अवलोकनों के माध्यम से, उन्होंने प्रकाश और दृष्टि के मूल पहलुओं को समझने में बड़ी सफलताएं हासिल कीं। जेल में हेथम ने दृश्य बोध, प्रकाशिकी और प्रकाश के सिद्धांतों को विकसित किया।

जेल में अपनी सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए कई प्रयोगों और जांच की पद्धति का विकास किया जिससे विविध परिणाम सामने आए। इन परिणामों और

01 जुलाई सन् 965 को प्रकाशिकी के जनक इब्न-अल-हेथम का जन्म हुआ था। इराक़ के रहने वाले इब्न अल-हेथम जिन्होंने पता लगाया कि रौशनी सीधी चलती है और जब एक छोटे सुराख़ से होकर जाती है तो सामने जाकर उल्टा अक्स बनाती है। अपने इसी थ्योरी के आधार पर इब्न अल-हेथम ने पहली बार 'पिनहोल कैमरा' बनाया जिसके आधार पर आधुनिक कैमरा बना।



सिद्धांतों को बाद में आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मान्यता मिली।

इस हिरासत के तहत, उन्होंने "किताब अल-मनाज़िर" (प्रकाशिकी की पुस्तक) पुस्तक लिखी और बाद में इसका लैटिन "डी एस्पेक्ट बस" अनुवाद किया गया। अल-हेथम के विचारों ने कई यूरोपीय विद्वानों को बहुत प्रभावित किया। उनके सभी प्रयोगों और सिद्धांतों के कारण, कई लोग उन्हें एक मौलिक व्यक्ति मानते हैं और हेथम का नाम प्रकाशिकी के इतिहास में सबसे ऊपर है। इसलिए इब्न अल-हेथम "आधुनिक प्रकाशिकी का जनक" कहा जाता है।

हसन इब्न अल-हेथम की प्रमुख उपलब्धियां–अंधेरे कमरे में प्रकाश के प्रवेश के विभिन्न अवलोकनों के माध्यम से, उन्होंने प्रकाश और दृष्टि के मूल पहलुओं को समझने में बड़ी सफलताएं हासिल कीं जिससे हेथम ने दृश्य बोध, प्रकाशिकी और प्रकाश के सिद्धांतों को विकसित किया। हसन इब्न अल-हेथम ने ही सबसे पहले यह बताया की चीज़े हमें तभी दिखती है जब प्रकाश उस पर पड़कर हमारे आंखों में पहुंचता है। जबकि उस समय तक ग्रीक साइंस ये कहती थी की आंखों में से एक रौशनी निकलती है, जो चीज़ों को जाकर पड़ती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं, इस पर इब्न अल-हेथम ने कहा की: "ये बेबुनियादी बात है" क्योंकि अगर आंखों से रौशनी निकलती है जिससे हम देख पाते हैं तो चीज़ों को रात में हम क्यों नहीं देख पाते?

इब्न अल-हेथम को प्रकाश और दृष्टि की प्रकृति की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने यह पता लगाया की आंखें कैसे देखती है और इसी आधार पर एक कमरे को आंख की शक्ल में बदल दिया और उसमें एक छोटा-सा छेद कर दिया जिससे सूरज की किरणें कमरे के सामने की

आपको जानकर हैरानी होगी कि कैमरा (Camera) एक अरबी शब्द है जो अल-कमरा से बना है। अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने पता लगाया कि आंखें कैसे देखती है और इसी थ्योरी से इन्होंने ऑप्टिक्स का विकास किया, जिसमें अध्ययन किया जाता है कि आंखें कैसे काम करती हैं और अगर नज़र कमज़ोर हो जाए तो इन्हें शीशे के ज़रिये सही कैसे किया जाए। इब्न अल-हेथम के इन खोजों से आज पूरी दुनिया बेहिसाब फ़ायदा उठा रही है।

चीज़ों से रिफ्लेक्ट होकर उस कमरे के होल से जाकर कमरे की दीवार पर एक प्रतिबिंब बनाती थी। इस अंधेरे कमरे को उन्होंने "अल-कमरा" कहा। यह दुनिया का सबसे पहला "पिनहोल कैमरा" था। कैमरा लफ़्ज़ अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है "अंधेरे में एक कमरा"।

विभिन्न अध्ययनों के दौरान, उन्होंने लेंस, रेटिना और कॉर्निया जैसे आंखों के कई भागों का नाम दिया और पता लगाया की आंख कैसे काम करती है और अगर कमज़ोर हो जाए तो कैसे इन्हें शीशे के ज़रिये सही किया जाए।



इब्न अल-हेथम ऐसे पहले शख़्स थे जिन्होंने कहा की : "अगर कोई बात, कोई कह दे तो मानना ज़रूरी थोड़े है, बल्की हम ख़ुद अनुभव करेंगे"। इसीलिए अपने सभी प्रयोगों के दौरान, उन्होंने प्रयोगात्मक विज्ञान में उच्च मानक स्थापित किए जिसका अनुसरण बाद के सभी वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाने लगा। इसीलिए इन्हें पहला वैज्ञानिक भी माना जाता है जिन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा अपने विचारों और संकल्पनाओं को सिद्ध किया। यूनेस्को ने सन् 2015 को "दी लाइट इयर" के रूप में इब्न अल-हेथम के द्वारा प्रकाशिकी पर कार्यों की 1000 वीं वर्षगांठ मनाई।

लगभग सन् 1040 में 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। जीवन भर इब्न अल हेथम ने विविध नवीन बिंदुओं को प्रस्तुत किया जो बाद में सिद्धांतों में बदल गए। उनका जन्म रचनात्मक काल में हुआ था जिसे मुस्लिम सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस अवधि में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में बड़ी प्रगति हुई है। इस युग ने कई खोजों और वैज्ञानिक विचारकों को सामने लाया जिन्होंने दुनिया को पूरी तरह प्रभावित किया, लेकिन फिर भी इन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया जो उनका हक़ था।

'इब्न अल-हेथम' ने पता लगाया की रौशनी सीधी चलती है और जब एक छोटे सुराख़ से होकर जाती है तो सामने जाकर उल्टा अक्स बनाती है। अपने इसी थ्योरी के आधार पर इब्न अल-हेथम ने पहली बार 'पिनहोल कैमरा' बनाया जिसके आधार पर आधुनिक कैमरा बना। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैमरा (Camera) एक अरबी शब्द है जो अल-कमरा से बना है। अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने पता लगाया कि आंखें कैसे देखती है और इसी थ्योरी से इन्होंने ऑप्टिक्स का विकास किया, जिसमें अध्ययन किया जाता है कि आंखें कैसे काम करती हैं और अगर नज़र कमज़ोर हो जाए तो उन्हें शीशे के ज़रिये सही कैसे किया जाए। इब्न अल-हेथम के इन खोजों से आज पूरी दुनिया बेहिसाब फ़ायदा उठा रही है। इस महान वैज्ञानिक को सलाम। ■■

सेहत

संपादन प्रभाग



सर्दी और सेहत

हर कोई एक ख़ुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। इस भागमभाग वाले समय में वर्कलोड और ज़िम्मेदारियों के बीच एक स्वस्थ जीवनशैली को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को नहीं अपना सकते। सुखी जीवन बिताने के लिए आपको अपने लिए कुछ नियम निर्धारित करने पड़ेंगे और उनका कड़ाई से पालन करना होगा।

बदलती जीवनशैली का हमारी लाइफ़स्टाइल में बहुत बड़ा असर पड़ा है। फोर वेलनेस की ख़बर के अनुसार आजकल लोग कम उम्र में ही डायबिटीज़, डिप्रेशन, एंग्जायटी, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ओबेसिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी फिटनेस में बड़ा अंतर पाएंगे जो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आजकल सर्दी अपने शबाब पर है। आइए जानते हैं सर्दियों में हेल्दी और हैप्पी लाइफ़स्टाइल के कुछ ख़ास टिप्स के बारे में–

सुबह एक गिलास पानी पिएं

कई लोग सुबह की शुरुआत चाय या फिर कॉफ़ी के साथ करते हैं, लेकिन अगर आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहिए तो आपको दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करनी चाहिए। यह आपको हाइड्रेट करने में मदद करेगा जिससे आपकी पाचन क्रिया मज़बूत होगी, इससे आपकी त्वचा संबंधी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी।

सीढ़ियों का इस्तेमाल करें

अक्सर लोग ऑफ़िस में दूसरे, तीसरे प्लोर में जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। सीढ़ियों के इस्तेमाल से आपके दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, इससे पैरों में मज़बूती भी बढ़ेगी।



फिटनेस ट्रैकर का इस्तेमाल करें

अपने आपको मेंटली और फिजीकली मज़बूत रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हर दिन कम से कम 10,000 क़दम चलने का लक्ष्य बनाएं। इसके लिए आपको एक फिटनेस ट्रैकर लेना चाहिए जो हर घंटे आपको 250 क़दम चलने की याद दिलाएगा।

नॉन टॉक्सिक स्किनकेयर का इस्तेमाल करें

मौजूदा समय में सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करने के लिए कई कोल्ड क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कई तरह के हानिकारक केमिकल से तैयार किए जाते हैं। इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल स्किन के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़रूरी है कि आप नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।

प्रतिदिन धूप ज़रूर लें

कई लोग अपना दैनिक जीवन ऐसी जगह पर व्यतीत करते हैं, जिससे उन्हें धूप नहीं मिल पाती। धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है और यह विटामिन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ज़रूरी है कि आप हर दिन कम से कम 30 मिनट धूप में ज़रूर बिताएं।

खानपान का रखें विशेष ध्यान

मौसम की करवट के साथ ही

हमारे पहनावे से लेकर खानपान तक में बदलाव आ जाता है। बदलते मौसम के साथ तमाम ऐसी चीज़े आ जाती हैं, जो हमें साल के इसी वक़्त कुछ महीने ही मिल पाती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी थाली को सजाने, स्वाद बढ़ाने और पोषण के ख़ज़ाने से भरी हुई हैं। इस मौसम में आसानी से मिल जाने वाली उन तमाम सब्ज़ियों और फलों को अपनी ख़ुराक और रसोई का हिस्सा बनाइए। ये आपके लिए सही मायनों में प्रकृति का वरदान हैं।

पालक, गाजर, चुकंदर, आंवला, मूली, अमरूद, शकरकंद, अलसी, तिल सरीखे तमाम ऐसे खाद्य-पदार्थ हैं, जो न सिर्फ़ आपकी थाली को रंगों और स्वाद से सजा देने की क्षमता रखते हैं, बल्कि इस ठंड से लड़ने की ताक़त भी देंगे।

सर्दी के मौसम में सब्ज़ी के ठेलों से लेकर आपके दस्तरख़ान तक हरियाली नज़र आती है। लिहाज़ा, अपनी ख़ुराक में हरे पत्तेदार वाली सब्ज़ियों को जगह दीजिए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है, पालक का। पालक आंखों की सेहत दुरुस्त रखेगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत बनाएगी और सूजन सरीखी तमाम समस्याओं से आपको बचाएगी। इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स कैंसर की रोकथाम में मदद करते हैं और पेट की पुरानी परेशानी से राहत दिलाने में कारगर हैं। पोषक तत्वों की बात की जाए तो इसमें विटामिन-ए, बी, सी, ई, के, जिंक, मैग्नीशियम और बड़ी मात्रा में आयरन मिलता है।

आप अपनी थाली में सरसों के साग को भी जगह दे सकती हैं, जो स्वाद में इजाफ़ा कर जाएगा। इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन विटामिन-ए में बदल सकता है। सरसों के साग में ग्लूकोसाइनोलेट्स नामक फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी उच्च मात्रा में होते हैं। ये हमारे लीवर और अन्य अंगों की कोशिकाओं को फ्री-रेडिकल से होने वाली क्षति से बचाने में मदद करते हैं।

विटामिन ए,बी,सी,डी से भरा गाजर यूं तो गार्निशिंग के लिए किसी भी मौसम में मिल जाता है। पर, सर्दियों में इसको आपकी ख़ुराक में शामिल करना मत भूलिए, इससे आपको विटामिन-ए, बी, बी-2, बी-3, सी, डी, ई, सरीखे तमाम पोषक तत्व मिल जाएंगे। यह आंखों के लिए फ़ायदेमंद है। यह कैंसर से बचाता है, साथ ही मधुमेह के रोगियों और दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गाजर पीरियड फ्लो को भी दुरुस्त करता है।



ख़ून बढ़ाना है, तो चुकंदर खाओ। अक्सर यह नसीहत मिलती है। पर, चुकंदर सिर्फ़ ख़ून ही नहीं बढ़ाता। आयरन के अलावा विटामिन-ए, बी-6 और सी और कई महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर चुकंदर को सुपर फूड माना गया है, इसमें मौजूद पोषक तत्व लीवर ठीक रखने के साथ ही मधुमेह, मोटापा, हृदय रोगों के ख़तरे को भी कम करते हैं।

इसके अलावा भुनी हुई शकरकंद और धनिये की चटनी...सर्द मौसम में इसे अपनी ख़ुराक में शामिल करें। खाने का तरीक़ा जो आपको अच्छा लगे। इससे आपको फाइबर, मैग्नीशियम, बीटा-कैरोटीन, विटामिन-ए, बी-6 और सी और एंटीऑक्सीडेंट वग़ैरह पोषक तत्व मिलेंगे। इसका सेवन दिल का दौरा, फ्लू वायरस, सामान्य सर्दी को रोकने में मदद करने के साथ ही, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी मददगार साबित होता है।

मूली में पोटैशियम, सोडियम, विटामिन-सी और मैग्नीशियम सरीखे तमाम पोषण तत्व मौजूद होते हैं। मूली को सलाद के अलावा परांठे, सब्ज़ी और अचार आदि के रूप में शामिल करके आप फ्लू, कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं।

हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना एक प्रोबायोटिक ज़रूर लें। इससे आपके पाचन, त्वचा, आंत और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। सर्दियों में तैलीय, मसालेदार और बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे शरीर से इस दौरान पसीना कम निकलता है, जिससे शरीर में विषाक्त तत्व बढ़ जाते हैं।

लगातार बैठकर न करें काम

कई घंटों तक लगातार बैठकर काम करने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ज़रूरी है कि हर आधे घंटे में दो से तीन मिनट के लिए खड़े हों और शारीरिक गतिविधि करें। लगातार बैठने से नेक पेन, बैक पेन, सर्वाइकल, मोटापा संबंधी कई तरह की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ■■

कंटेंट लेखन :

डिजिटल दुनिया की ज़रूरत



करियर



संपादन प्रभाग

इंटरनेट मीडिया, वेबसाइट-पोर्टल, एप के बढ़ते उपयोग से क्रिएटिव राइटिंग की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ख़ासकर ऑनलाइन कंपनियां टारगेट ऑडिएंस तक पहुंचने के लिए ऐसे राइटर्स की मदद ले रही हैं, जो प्रोडक्ट के लिए प्रभावशाली कंटेंट के ज़रिए लोगों को समुचित जानकारी देने के साथ उन्हें लुभा सकें। सरल-सहज भाषा में सटीक लिखने में कुशल लोग ऑनलाइन काम कर अच्छी कमाई कर रहे हैं।

क्या है क्रिएटिव राइटिंग?

कंटेंट लेखक एक पेशेवर है जो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मीडिया के लिए लिखित सामग्री तैयार करता है। ये सामग्री लेख, ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कॉपी, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य रूप में होती है जो लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध तमाम तरह के लेख, गाइड, ट्यूटोरियल, ब्लॉग या ई-बुक्स जैसी विभिन्न पाठ्य सामग्रियां क्रिएटिव राइटिंग का ही एक रूप हैं, जो वेबसाइट को प्रासंगिक बनाने के साथ-साथ उसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद करती हैं।

डिजिटल सेक्टर में आज के समय में हज़ारों-लाखों कंटेंट राइटर्स की मांग है। अगर आप रोज़गार की तलाश में हैं तो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।

सरल शब्दों में, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग का मतलब ऐसे रचनात्मक लेखन से है, जो पाठक के अनुकूल हो, आकर्षक और जानकारीपूर्ण हो। ऐसे लेखकों को विभिन्न जानकारियों को सरल और आसान भाषा में कस्टमर, क्लाइंट या टारगेट ऑडिएंस तक पहुंचाना होता है। इसके लिए उन्हें पहले शोध करना होता है। फिर कॉन्सेप्ट तैयार करने, डिज़ाइनिंग से लेकर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने तक की ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है। आजकल अपने व्यवसाय, प्रोडक्ट और सर्विसेज की ब्रांडिंग के लिए, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के लेखन का

बहुत उपयोग हो रहा है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध तमाम तरह के लेख, गाइड, ट्यूटोरियल, ब्लॉग या ई-बुक्स जैसी विभिन्न पाठ्य सामग्रियां क्रिएटिव राइटिंग का ही एक रूप हैं, जो वेबसाइट को प्रासंगिक बनाने के साथ-साथ उसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद करती हैं। कुल मिलाकर, किसी भी वेबसाइट पर आप जो भी कंटेंट/विजुअल कंटेंट देखते हैं, वह क्रिएटिव राइटर्स द्वारा ही लिखा जाता है।

बढ़ती करियर संभावनाएं

हमारे दैनिक जीवन में डिजिटल मीडिया के बढ़ते महत्व के कारण आज के युवाओं का कंटेंट लेखन में उज्ज्वल भविष्य बन सकता है। धीरे- धीरे ज़्यादातर व्यवसाय ऑनलाइन स्थानांतरित होते जा रहे हैं, कंपनियां अपने मोबाइल एप और वेबसाइटें लांच कर रही हैं। जिनपर हर उत्पाद के लिए कंटेंट की आवश्यकता है। वहीं देश में लाखों पोर्टल्स हैं जो लगातार कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। कंपनियां ब्लॉग, वेबसाइट और सोशल मीडिया के ज़रिए लिखे गए कंटेंट से मार्केटिंग कर रहीं हैं। इसलिए इस क्षेत्र में लाखों युवाओं के लिए करियर बनाने का अवसर है।

क्रिएटिव/कंटेंट राइटर्स की डिमांड आजकल डिजिटल मीडिया और गूगल के अलावा विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज़, स्टार्टअप, ई-कॉमर्स कंपनीज़ तथा ऑनलाइन पोर्टल्स में है, जहां पर ऐसे राइटर्स की पूर्णकालिक तथा फ्रीलांसर दोनों रूप में सेवाएं ली जा रही हैं। अच्छा और आकर्षक तरीक़े से लिखने वाले इस फील्ड में कंटेंट राइटर और कंटेंट डेवलपर से लेकर एसईओ एक्सपर्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ब्लॉगर, इंफलुएंसर जैसे विभिन्न प्रोफाइल के तहत करियर बना सकते हैं। राइटिंग फील्ड में और आगे जाना चाहते हैं, तो ऐड कंपनियों और फ़िल्म टीवी प्रोडक्शन के साथ जुड़ सकते हैं।

चाहें तो इसके लिए क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करके ख़ुद को और इंप्रूव कर सकते हैं। एक-दो साल से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च होने वाली वेब सीरीज़ की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां भी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी है।

क्रिएटिव कंटेंट राइटर्स की डिमांड आजकल डिजिटल मीडिया और गूगल के अलावा विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज़, स्टार्टअप, ई-कॉमर्स कंपनीज़ तथा ऑनलाइन पोर्टल्स में है, जहां पर ऐसे राइटर्स की पूर्णकालिक तथा फ्रीलांसर दोनों रूप में सेवाएं ली जा रही हैं। अच्छा और आकर्षक तरीक़े से लिखने वाले इस फील्ड में कंटेंट राइटर और कंटेंट डेवलपर से लेकर एसईओ एक्सपर्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ब्लॉगर, इंफलुएंसर जैसे विभिन्न प्रोफाइल के तहत करियर बना सकते हैं।

इंटरनेट मार्केटिंग कंसल्टेंट चेतन देशपांडे ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर आजकल लोगों को दिलचस्प अंदाज़ में जानकारी चाहिए। कंटेंट जितना उपयोगी होता है, उसे जितने क्रिएटिव अंदाज़ में पेश किया जाता है, लोग उससे उतने प्रभावित होते हैं। फ़िलहाल ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग फील्ड में आने वालों को अंग्रेज़ी पर कमांड के साथ-साथ डिजिटल मार्केटिंग टूल, ब्रांडिंग और विजुअल इमैजिनेशन जैसे विभिन्न स्किल्स में भी पारंगत होना चाहिए। बड़े मार्केट को देखते हुए आने वाले दिनों में कंपनियां हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के राइटर्स को भी अपने साथ जोड़ेंगे।

आवश्यक कौशल

कंटेंट राइटर बनने के लिए आपमें निम्नलिखित कौशल होना चाहिए। कंटेंट राइटर बनकर कमाने के कुछ टिप्स यहां दिए गए हैं–

1. अपने लेखन स्किल का विकास करें (Develop your writing skills): एक सफल कंटेंट राइटर बनने के लिए, आपके पास उत्कृष्ट लेखन स्किल होना चाहिए। अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली कंटेंट बनाने के लिए अपने व्याकरण, शब्दावली और लेखन शैली में सुधार करने पर ध्यान दें।

2. एक फील्ड में विशेषज्ञता (Specialize in a niche): प्रतियोगिता से बाहर खड़े होने के लिए, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त या जीवनशैली जैसे आला में विशेषज्ञ। यह आपको अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा बनाने और विशेष कंटेंट की आवश्यकता वाले ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करेगा।

3. एक मज़बूत पोर्टफ़ोलियो बनाएं (Build a strong portfolio): संभावित ग्राहकों को अपने स्किल और अनुभव दिखाने के लिए अपने बेहतरीन काम का एक पोर्टफ़ोलियो बनाएं। विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल करें, जैसे ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल अभियान

और वेबसाइट सामग्री।

4. संभावित ग्राहकों के साथ नेटवर्क (Network with potential clients): उद्योग की घटनाओं में भाग लें, ऑनलाइन समुदायों में शामिल हों, और अपना नेटवर्क बनाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संभावित ग्राहकों से जुड़ें।

5. प्रतिस्पर्धी दरें निर्धारित करें (Set competitive rates): उद्योग मानकों और परियोजना के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के स्तर के आधार पर अपनी दरें निर्धारित करें। अपनी सेवाओं का मूल्य कम न करें, बल्कि बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारण से भी बचें।

शैक्षिक योग्यता

वैसे तो, लेखन के लिए किसी औपचारिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बस, किसी एक भाषा पर अच्छी कमांड के साथ आपको रोचक तरीक़े से लिखना आना चाहिए। फिर भी अगर लेखन के लिए कोई कोर्स करके इस फील्ड में आते हैं, तो आगे बढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि तमाम कंपनियों में हायरिंग के समय प्रोफ़ेशनल कोर्स करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। आजकल बहुत से संस्थान ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से क्रिएटिव राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग जैसे कोर्स कराते हैं। मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके भी आप इस फील्ड में एंट्री पा सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग के पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी है। इन पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष की होती है। इसके अलावा, कई विश्वविद्यालय भी वैकल्पिक विषय के रूप में रचनात्मक लेखन का कोर्स संचालित करते हैं।

प्रमुख संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान, नयी दिल्ली http://iimc.nic.in/

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि, भोपाल www.mcu.ac.in

टेक्नोराइट्स एकेडमी, पुणे www.technowrites.com

उडेमी www.udemy.com

■■

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH True Success Both Worlds

अल फलाह

हक़ीक़ी कामयाबी दोनों जहानों में

अख़्तर नवाब
✆ 9926408118

अनोखी जीत

कहानी



उज़्मा अबूनस्र सिद्दीक़ी



वहां धूल और धुएं के बादल थे। फ़ज़ा में बारूद की बू फैली थी, लोगों की आवाज़ें थीं, तबाही ही तबाही थी, मगर वहां एक चीज़ नहीं थी, वही जिसे इब्लीस ढूंढ़ता ही रह गया।

"आइला, इबराहीम!'" शमामा दोनों को कई बार आवाज़ें दे चुकी थी, मगर उनके तो खेल ही ख़त्म न होते थे। वह बच्चों की दुनिया थी, बड़ों की दुनिया से अलग। शमामा ने दोनों को एक-बार फिर खाने के लिए बुलाया और अपनी कमर में उठते दर्द की लहर को बर्दाश्त करती क़रीब ही सोफ़े पर बैठ गई।

ख़यालों की दुनिया उसे कुछ देर के लिए इस दुनिया से बे-ख़बर कर गई। "कितने दिन रह गए?' वह दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगी। "हूं शायद एक हफ़्ता" उसने ख़ुद-कलामी की। "क्या मेरा आने वाला बच्चा भी इसी आज़माइश में आंख खोलेगा? अबू राफ़े ने कहा था, हम इसका नाम ख़ालिद रखेंगे, ख़ालिद सैफ़ुल्लाह, अल्लाह की तलवार, जो इस्राईलियों के सर पर कौंदेगी।

एक नन्हे ख़ूबसूरत वुजूद का तसव्वुर शमामा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर चुका था, इब्लीस ने एक-बार फिर अपने बाल नोचे।

"अम्मी अम्मी! यह मुझे तंग कर रहा है।" वह दोनों आगे-पीछे भागते उसके बराबर में बैठ गए।

"अख़ी, अम्मी मुस्कुरा रही हैं"। आइला ने इसके गले में अपने बाज़ू डाले तो वह चौंक गई। "अरे मैं सो गई थी?" उसने बे-इख़्तियार आंखें मसले और अपने दोनों बच्चों को लेकर दस्तरख़वान पर बैठ गई, जिस पर मुश्किल से ही पेट भर कर खाने का सामान रखा था। शमामा ने बच्चों को बिसमिल्लाह पढ़ने की ताकीद की और अपने नन्हे मुजाहिद के लिए कुछ निवाले खाकर इन बुरे हालात में भी मिलने वाले रिज़्क़ पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इब्लीस देखता ही रहा कि अब उसके कान कुछ शिकवे-भरे जुमले सुन लें।

दिन-ब-दिन ग़ज़्ज़ा के हालात बिगड़ते ही जा रहे थे, ज़ालिम इस्राईलियों के सर पर ख़ून सवार हो चुका था। उनका एक ही मिशन था कि ग़ज़्ज़ा वाले इस मुक़द्दस सरज़मीन को छोड़ दें जहां वह

सदियों से आबाद हैं, जिसकी हिफ़ाज़त उनके ईमान का हिस्सा है। रोज़ ग़ज़्ज़ा के किसी न किसी इलाक़े पर बमबारी की जाती है। ख़ून के प्यासों और शैतान के हरकारों ने स्कूलों और अस्पतालों तक को न बख़्शा था। शहादतों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला था। वह फ़ौलादी जज़्बों वाले, जितने जनाज़े उठाते थे इतने ही मज़बूत होते चले जाते। ज़मीन और आसमान उनकी बहादुरी पर हैरान थे और शैतान परेशान था।

अपनी तबियत को देखते हुए शमामा के लिए अब घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, वह सारा दिन अपने बच्चों को आने वाले किसी भी मुश्किल दिन के लिए तैयार करती। कहीं धमाके की आवाज़ सुनाई देती, तो उन्हें हिफ़ाज़ती तदाबीर के बारे में बताती। वह जब उन्हें मआज़ व मऊज़ का वाक़िया सुनाती तो वह ख़ुद को इतना ताक़तवर समझते कि वक़्त के हर फ़िरऔन से टकरा जाएं। वह उन्हें हज़रत ख़ालिद बिन वलीद और सुलतान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जीतों के बारे में बताती, और कभी मुजाहिदे-वक़्त अबू उबैदा के बयानात सुनवाती, वही अबू उबैदा जो उसके बच्चों का हीरो था।

"अम्मी हम स्कूल कब जाएंगे? मैं अपनी दोस्तों से कब मिलूंगी आज भी सोते हुए आइला के सवालात शुरू हो चुके थे।

आइला का सवाल सुनकर शमामा कुछ देर के लिए ख़ामोश हो गई कि क्या कहे। कहीं स्कूल था तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, कहीं कुछ एक बच्चे थे तो स्कूल ध्वस्त हो चुका था। "बेटा जब हालात ठीक हो जाएंगे तब।' उसने आहिस्ता से कहा।

"अच्छा अम्मी आप रोज़ रात को इबाया पहन कर क्यों सोती हैं? आप रात को कहीं जाती हैं क्या हमें छोड़कर?'

रोज़ ग़ज़्ज़ा के किसी न किसी इलाक़े पर बमबारी की जाती है। ख़ून के प्यासों और शैतान के हरकारों ने स्कूलों और अस्पतालों तक को न बख़्शा था। शहादतों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला था। वह फ़ौलादी जज़्बों वाले, जितने जनाज़े उठाते थे इतने ही मज़बूत होते चले जाते। ज़मीन और आसमान उनकी बहादुरी पर हैरान थे और शैतान परेशान था।

"अरे आइला कितने सवाल करती हो अब दुआ पढ़ो और सो जाओ। देखो भाई सो भी गया।' वह इस नन्ही बच्ची को क्या समझाती कि न जाने कब क्या हो जाए। उसे अपना हिजाब बहुत अज़ीज़ था। आइला के बालों में हाथ फेरते हुए वह उसे दुआ पढ़ाने लगी। दूसरी तरफ़ इबराहीम नींद में अपने बिछड़ जाने वाले दोस्तों के नाम ले रहा था। शमामा ने हल्के से अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रख दिया। अबू राफ़े को आज घर से गए हुए चौथा दिन था, वह अस्पताल में ज़ख़मियों की देखभाल में मसरूफ़ था।

शमामा की आंखें नींद से बोझल थीं कि उसे दरवाज़े पर दस्तक महसूस हुई। करवट लेकर उठते हुए भी उसके मुंह से आह निकल गई, बस अब गिनती के चंद दिन ही हैं। इस दर्द के बावजूद वह उठी।

अबू राफ़े उनके लिए खाने-पीने का कुछ सामान लाया था। शमामा को ज़बरदस्ती दूध का डिब्बा पकड़ाया और इसके ख़त्म होने तक उसका हाथ थाम कर बैठा रहा। थकन के आसार उसके चेहरे से नुमायां थे। "मुसलसल तीसरी रात है जो हम सब जाग रहे हैं, बहुत लोग ज़ख़्मी हैं उनकी तकलीफ़ का एहसास बैठने भी नहीं देता, लगता है इस बार इन ज़ालिमों ने हमें ख़त्म करने का इरादा कर लिया है, लेकिन अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे शेरों को, जिन्होंने इस अर्ज़े-मुक़द्दस के लिए अपनी जानों को ढाल बना रखा है। शमामा मुझ से वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे भी इस मुक़द्दस सरज़मीन की हिफ़ाज़त करेंगे अबू राफ़े ने उसका हाथ दबाया।

"अबू राफ़े मैं रोज़ अपने बच्चे को

याद दिलाती हूं कि तुम्हारा नाम ख़ालिद है और तुम्हें बैतुल-मुक़द्दस की हिफ़ाज़त करना है। देखो इसी लिए मैंने ये पूरा डिब्बा ख़ाली कर दिया है।' शमामा ने दूध का ख़ाली डिब्बा अबू राफ़े के हाथ में पकड़ाया।

अबू राफ़े की मुस्कुराहट ने जहां शमामा को अंदर तक ताक़त दी थी, वहीं शैतान जल-भुन कर ख़ाक हो चुका था।

अबू राफ़े ने अपने सोते हुए बच्चों को प्यार किया। "आज मैंने अपने बच्चों की आवाज़ भी नहीं सुनी, कल फ़ोन करूंगा, मेरी बात ज़रूर करवा देना चलो अब मैं चलता हूं, वहां मेरी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़ख़्मी हैं, बहुत शहीद हैं, मगर एक बात है जो हमारी उम्मीदें बंधाती है कि पूरी दुनिया में लोग हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोई मुल्क हमारा साथ दे न दे, मगर ईमान वाले और एहसास रखने वाले हमारे साथ हैं, तुम देखना बस अब ये इस्राईली और उनका ज़ुल्म जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इंशा-अल्लाह"।

वह दरवाज़े तक आ चुके थे, अबू राफ़े ने अपनी शरीके-हयात का माथा चूमा और घर से निकल गया, और वह दरवाज़ा बंद करके अपने बच्चों के बीच आकर सो गई।

रात के आख़िरी पहर आसमान पर होने वाली शदीद गड़गड़ाहट से उसकी आंख खुली। वह अनहोनी के एहसास के साथ धड़कते दिल को संभालते हुए दुआओं का विर्द करने लगी। दोनों बच्चों को अपनी बांहों में समेटते हुए वह सजदे की सूरत में उनके बीच झुक गई। ऐसा लगा जैसे आसमान टूट गिरा हो।

"अल्लाहु-अकबर अल्लाहु-अकबर, ला-इलाह इल-लल्लाह!" उसके हलक़ से ये आख़िरी अलफ़ाज़ निकले और वह सब अपने ही घर के मलबे तले दफ़न हो गए। ख़ूनी दुश्मन ने एक-बार फिर मासूम जानों से अपनी प्यास बुझानी चाही और जन्नतों के राही अपने सफ़र पर रवाना हो गए।

दोनों बच्चों को अपनी बांहों में समेटते हुए वह सजदे की सूरत में उनके बीच झुक गई। ऐसा लगा जैसे आसमान टूट गिरा हो। "अल्लाहु-अकबर अल्लाहु-अकबर, ला-इलाह इल-लल्लाह!" उसके हलक़ से ये आख़िरी अलफ़ाज़ निकले और वह सब अपने ही घर के मलबे तले दफ़न हो गए। ख़ूनी दुश्मन ने एक-बार फिर मासूम जानों से अपनी प्यास बुझानी चाही और जन्नतों के राही अपने सफ़र पर रवाना हो गए।

सुबह की हल्की-हल्की रोशनी फैल चुकी थी। अबू राफ़े अपने दोनों हाथों से मलबे को हटाता, शमामा और बच्चों को आवाज़ें देता और मलबे को खोदने लगता। इसके हाथ ज़ख़मी हो चुके थे, बाज़ू शल हो चुके थे और आवाज़ बैठ चुकी थी, मगर वह उम्मीद कैसे खो देता?

"ये मेरी आइला का हाथ है, ये मेरी नन्ही शहज़ादी' वह दीवानावार मलबे को इधर-उधर हटाने लगा। कई हाथ उसके साथ शामिल थे। आइला पर से मलबा हटाते उसे शमामा का ख़ून में लत-पत सर नज़र आया इसकी आंखों में नमकीन पानी का समुंद्र उमड़ आया, वह हाथ की पुश्त से आंखों को रगड़ता अपने दोनों बच्चों के जिस्मों के बाद शमामा को भी बाहर निकाल रहा था।

लोग उसे तसल्ली दे रहे थे। वह जानता था कि वे उससे बहुत आगे जन्नत की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन अचानक उसके ज़ेहन में एक ख़याल कौंदा, उसने शमामा को एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल जा पहुंचा, शायद कोई मोजिज़ा हो जाए।

शमामा के बेजान जिस्म में ज़िंदगी का मुंतज़िर वह नन्हा जिस्म जिसे वह 'ग़ज़्ज़ा का नन्हा मुजाहिद' कहती थी, बाहर आने का मुंतज़िर था। डॉक्टरों के फ़ौरी ऑप्रेशन के नतीजे में नन्हे ख़ालिद ने ग़ज़्ज़ा में पहली सांस ली। "अल्हम्दुलिल्लाह! अल्हम्दुलिल्लाह! कहते हुए अबू राफ़े ने अपने शहज़ादे को प्यार किया, घर के तीन अफ़राद खोने के बाद भी दोनों बाप बेटे मुस्कुरा रहे थे।

शैतान ने एक नज़र उन पर डाली और अपना नाम पुकारा..... इबलीस!.....हमेशा के लिए मायूस। भला ऐसे ईमान वालों को कौन-सी ताक़त शिकस्त दे सकती है जो कभी मायूस ही नहीं होते। ■■

ग्रेटर इसाईल की अवधारणा और षड्यंत्र का दुश्चक्र



इस्राईल के बन जाने के बाद भी साम्राज्य विस्तार का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। पिछले 75 वर्षों में, इस्राईल लगातार अपने इलाक़े में विस्तार किए जा रहा है। किसी इंटरनेशनल क़ानून या संयुक्त राष्ट्र के किसी प्रस्ताव की न वह परवाह करता है और न पश्चिमी सत्ता को इससे कोई दिलचस्पी है कि उससे उन क़ानूनों की पाबंदी कराए। फ़िलिस्तीनियों की कुल आबादी यहूदी आक्रमणकारियों की आबादी के दो गुना से ज़्यादा है, जिसका लगभग आधा हिस्सा विदेशों के शरणार्थी हैं। जो आबादी फ़िलिस्तीन की सीमा में है वह भी यहूदी आबादी से ज़्यादा है। इस आबादी को दो छोटे और एक-दूसरे से अलग क्षेत्रों (ग़ज़ा और पश्चिमी किनारा या west bank) में क़ैद करके रखा गया है। इसमें भी एक क्षेत्र यानी पश्चिमी किनारे को छोटे-छोटे एक-दूसरे से अलग इलाक़ों में तक़सीम कर दिया गया है। एक फ़िलिस्तीनी देहात है, तो उसके चारों तरफ़ 'इस्राईली सेट्लमेंट' हैं।

पश्चिमी किनारे के एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इस्राईली आबादियों से गुज़रना होता है जिसकी कठिनाइयां नाक़ाबिले बयान हैं। इस ज़ालिमाना बंटवारे को ओस्लो ने ज़ोन A,B,C बनाकर औचित्य दे दिया है, लेकिन इस ज़ुल्म पर भी इस्राईल रुका नहीं है, बल्कि जो इलाक़े ओस्लो समझौते में फ़िलिस्तीनी इलाक़े क़रार दिए गए थे उनमें भी नए सेट्लमेंट बनाकर लगातार

परिदृश्य



सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

विस्तार किए जा रहा है। इस फैलाव का ख़ास निशाना पूर्वी यरुशलम है जहां बैतुल-मुक़द्दस मौजूद है।

इस्राईल इस लगातार फैलाव से क्या चाहता है? उसका दावा क्या है? यह बात बाक़ायदा तौर पर कभी स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन इस्राईल की राजनीतिक जमाअतों, मज़हबी अशराफ़िया और बौद्धिक हलक़ों में ग्रेटर इस्राईल Eretz Yisrael की अवधारणा हमेशा बहस का विषय रही है। ग्रेटर इस्राईल का क्या अर्थ है? उसे भी कभी स्पष्ट नहीं किया गया। इसका सबसे छोटा और कम से कम की संकल्पना, प्रशांत महासागर (Mediterranean Sea) से जार्डन नदी तक (From the River to the Sea) यह ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन की पूरी सरज़मीन है यानी इस्राईल का मान्यता प्राप्त इलाक़ा, पश्चिमी किनारा, यरुशलम और ग़ज़्ज़ा।



यह बाइबल में दर्ज बनी-इस्राईल की ज़मीन, From Dan to Be'er Sheva का इलाक़ा है। दान और बर शेवा मौजूदा इस्राईल के आख़िरी उत्तर और दक्षिण शहर हैं। इसका मतलब यह है कि इस्राईल फ़िलिस्तीनियों से उनकी रही-सही मामूली ज़मीनें और उन पर उनके अत्यंत सीमित क़ब्ज़े को भी पूरे तौर पर ख़त्म करके इस पूरे इलाक़े को इस्राईल में मिलाना चाहता है। दूसरी संकल्पना यह है कि पुराने फ़िलिस्तीन के पूरे इलाक़े के अलावा, जार्डन के कुछ इलाक़े, सीना और सीरिया की गोलान पहाड़ियां भी ग्रेटर इस्राईल का हिस्सा हैं। इस्राईल इन इलाक़ों पर क़ब्ज़े की कोशिशें करता रहा है और उन पर क़ाबिज़ भी रहा है।

तीसरी संकल्पना नील से फ़रात तक From Nile to Euphrates की संकल्पना है और यह सबसे ज़्यादा मशहूर तसव्वुर है। इसके सिलसिले में भी बाइबल का हवाला दिया जाता है। इसके मुताबिक़ पूरे फ़िलिस्तीन के अलावा, पूरा जार्डन, पूरा लेबनान, सीरिया का ज़्यादातर इलाक़ा, सीना के अलावा प्रशांत महासागर के किनारे मिस्र का लम्बा पूर्वी तटीय इलाक़ा, इराक़ का आधा से ज़्यादा हिस्सा (बस्रा, नज़फ़ और कर्बला सहित), तुर्की का कुछ हिस्सा और सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा शामिल है। (जिसमें कुछ कथनों के अनुसार मदीना भी आता है) यह पूरा इलाक़ा ग्रेटर इस्राईल की संकल्पना में शामिल है। नक़्शा देखें, इसमें ग्रेटर इस्राईल की काल्पनिक सरहदों को निशान-ज़द किया गया है।

इसके साक्ष्य मौजूद हैं कि ज़ायोनी नेताओं के ज़हनों में शुरू में यही कल्पना थी। यासर अरफ़ात के मुताबिक़ इस्राईल के झंडे में दो नीली पट्टियां, नील और फ़ुरात नदियों की नुमाइंदगी करती हैं और यह कि इस्राईल के 100 शैक्ल के पुराने सिक्के में जो नक़्शे की शक्ल का स्केच है वह भी इसी विज़न को दिखाता है। इस्राईल के कुख्यात रक्षामंत्री, मोशे दयान का यह बयान भी रिकार्ड पर मौजूद है कि हमने यरुशलम हासिल कर लिया है और अब हम मदीना और बाबिल की तरफ़ बढ़ रहे हैं।

ये केवल भावनात्मक भाषणों या वैचारिक सोच का मामला नहीं है, बल्कि अपनी स्थापना के बाद से इस्राईल लगातार विस्तारवादी मन्सूबों को पूरे अहंकार के साथ अमल में ला रहा है। हर साल उसके कंट्रोल वाले इलाक़ों और यहूदी सेट्लमेंट के एरिया में इज़ाफ़ा हो रहा है। इन विस्तारों के लिए इस्राईल पूरी दुनिया की निंदा को स्वीकार कर लेता है। बड़े-बड़े युद्धों का ख़तरा भी मोल लेता है और अपनी आबादी को तरह-तरह के ख़तरों और नुक़सानों से दोचार करना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन विस्तार से बाज़ नहीं आता। इस रवैये की वजह से भी उपरोक्त सोच को दुनिया एक गंभीर ख़ुफ़िया मन्सूबा समझती है, जिस पर इस्राईल ख़ामोशी से अमल कर रहा है।

फ़िलिस्तीन के संघर्ष का एक बड़ा कारनामा यह है कि उसने इस्राईल की ताक़त, उसके अजेय होने का भरम और ताक़तवर और पूरा कंट्रोल रखने वाली 'यहूदी साज़िश' का भरम बुरी तरह बेनक़ाब कर दिया है। उनके बारे में यह

समझा जाता है कि वे एक ऐसी ताक़त के मालिक हैं कि उनकी मर्ज़ी और मंसूबाबंदी से दुनिया की सारी घटनाएं घटित होती हैं, अल्युमीनाई, फ़्री मेसन, ज़ायोनिज़्म आदि के सिलसिले में यह सोच मौजूद हैं कि हर छोटी-बड़ी घटनाएं उन्हीं की मर्ज़ी और प्लॉनिंग से होती हैं। राजनीतिक व आर्थिक मामलों से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक और वैज्ञानिक खोजों से लेकर, नैतिक एवं सांस्कृतिक सोच के चलन तक, इन्सानी ज़िंदगी का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ हो रहा हो। वे कभी नाकाम नहीं होते और न कभी कोई पत्ता उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हिल पाता है। वह मंसूबा बनाते हैं और दुनिया का हर छोटा-बड़ा मामला, उनके मन्सूबे के मुताबिक़ हू-ब-हू अंजाम पाता है।

ये विचार निराशा को और बढ़ावा देते हैं। जब व्यक्ति यह महसूस करे कि उसके मामले पूरे तौर पर एक ऐसे अनदेखे दुश्मन के कंट्रोल में हैं जो दुनिया के सभी मामलों पर कंट्रोल रखता है, तो वह किस लिए संघर्ष करेगा? आम तौर पर ये घटनाएं ही होती हैं जो शोध और परीक्षण की प्रेरक होती हैं, लेकिन अगर किसी की सोच पर साज़िशी नज़रिये छाए हुए हों तो वह उसे एक साज़िश समझेगा और साज़िशियों को कोसने के सिवा कोई और काम उसके पास नहीं बचेगा।

फ़िलिस्तीनी संघर्ष का यह बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने इन कायराना सोचों की जड़ काट दी है और क़ुरआन के इस ऐलान को चरितार्थ कर दिया है कि-

"यक़ीन जानो कि शैतान की चालें वास्तव में बहुत कमज़ोर हैं।"

(क़ुरअन, 4:76)

लोग कहते हैं कि इस्राईल एक छोटा-सा देश होकर भी सभी अरबों पर भारी है। बेशक अरबों की कोताही, कमज़ोरी और कायरता भी इस सूरतेहाल का एक अहम कारण है,

इस्राईल इस लगातार फैलाव से क्या चाहता है? उस का दावा क्या है? यह बात बाक़ायदा तौर पर कभी स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन इस्राईल की राजनीतिक दलों और बौद्धिक हलक़ों में ग्रेटर इस्राईल (Eretz Yisrael) की अवधारणा हमेशा बहस का विषय रही है। ग्रेटर इस्राईल का क्या अर्थ है? उसे भी कभी स्पष्ट नहीं किया गया। इसका सबसे छोटा और कम से कम की संकल्पना, प्रशांत महासागर (Mediterranean Sea) से जार्डन नदी तक (From the River to the Sea) यह ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन की पूरी सरज़मीन है यानी इस्राईल का मान्यता प्राप्त इलाक़ा, पश्चिमी किनारा, यरुशलम और ग़ज़्ज़ा।

लेकिन इस्राईल को बड़ी ताक़त और अजेय ताक़त समझना भी कमसमझी है। फ़िलिस्तीनियों से इस्राईल अकेला नहीं लड़ रहा है। उसकी पीठ पर सारी दुनिया की ताक़तें हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और फ़ौजी ताक़त है। इस्राईल को अमेरिका की जो आर्थिक और फ़ौजी मदद हासिल है उसका अंदाज़ा भी मुश्किल है।

इस समय अमेरिका केवल सैनिक उद्देश्यों के लिए इस्राईल को सालाना 3.8 बिलियन डॉलर की सहायता देता है। यह बात स्पष्ट तौर पर लिखी हुई मौजूद है कि इस मदद का मक़सद पड़ोसियों के मुक़ाबले में इस्राईल को "सैनिक बढत" (Qualititative Military Edge) उपलब्ध करना है। उनके अलावा जर्मनी, इंग्लैंड, फ़्रांस, स्पेन आदि कई देश हैं जो इस्राईल की 75 वर्षों से लगातार आर्थिक मदद कर रहे हैं।

मदद केवल आर्थिक नहीं है। यह बड़ी ताक़तें इस्राईल को अतिआधुनिक हथियार उपलब्ध करती हैं। रक्षा टेक्नोलॉजी उपलब्ध करती हैं। उनको सैनिक ट्रेनिंग देते हैं। ज्वाइंट ऑप्रेशन करते हैं। उनकी मदद के लिए आस-पास फ़ौजी दस्ते तैनात रखते हैं। केवल इस्राईल की मदद के लिए पश्चिमी एशिया में अमेरिका के कई फ़ौजी अड्डे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की मध्य-पूर्व में पूरी रक्षा और विदेश नीति इस्राईल को बुनियाद बनाकर बनाई जाती है। इस्राईल की मदद इन सब देशों का सबसे बड़ा रक्षा उद्देश्य है।

ये ताक़तें केवल आर्थिक और रक्षा के मोर्चों पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीति के मोर्चों पर भी हर-दम इस्राईल की मददगार बनी रहती हैं। इस्राईल के ज़ुल्म पर रोक लाने के लिए सारी दुनिया एक ज़ुबान हो

जाती है, लेकिन बड़ी ताक़तें वीटो कर देती हैं। अब तक के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने 82 बार वीटो के अधिकार का इस्तेमाल किया है, जिनमें 46 बार (आधा से ज़्यादा) इस्राईल को बचाने के लिए किया है। ब्रिटेन ने 29 में से 13 और फ्रांस ने 18 में से 11 बार इस्राईल की निंदा और उसकी सज़ाओं को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। ऐसा महसूस होता है कि बड़ी ताक़तों को यह अलोकतांत्रिक अधिकार महज़ इस्राईल की सुरक्षा के लिए दिया गया है।

इन तथ्यों की मौजूदगी में कौन यह कह सकता है कि फ़िलिस्तीन के निहत्थे मुजाहिद केवल इस्राईल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं? सच्चाई यह है कि वे सभी बड़ी आलमी ताक़तों की आक्रामकता का मुक़ाबला कर रहे हैं। इन्सानी इतिहास के सबसे ताक़तवर और बेपनाह ताक़त व संसाधनों से लैस गठबंधन को रोके हुए हैं।

हमारे समय का यह बेमिसाल संघर्ष अब दुनिया को बदल रहा है। दुनिया का जनमत फ़िलिस्तीन के हक़ में और इस्राईल के ख़िलाफ़ जागरूक हो रहा है। दुनिया की हर क़ौम में भलाई के एलीमेंट्स मौजूद होते हैं। पश्चिमी देशों की जनता को उनकी सरकारों और मीडिया ने झूठ और प्रोपगंडे के ज़रिये सच्चाई से दूर रखा था। अब वे सच्चाई को जान रहे हैं तो सूरतेहाल यह है कि इस वक़्त इस्राईली ज़ुल्म के ख़िलाफ़ मुस्लिम देशों से कहीं ज़्यादा पश्चिमी देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन आदि के प्रधानमंत्रियों को जगह-जगह लोग घेर कर सवाल कर रहे हैं। बहुत से इस्राईली जर्नलों और राजनीतिज्ञों के लिए ब्रिटेन का दौरा नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वहां की अदालतें (शासकों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़) ब्रिटेन के यूनीवर्सल ज्युरिसडिक्शन क़ानून के तहत उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के आदेश जारी कर रही हैं। जनमत का दबाव इतना अधिक है कि फ्रांस जैसे देश को इस्राईली रवैये की निंदा करनी पड़ी और इस्राईल के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र में वोट देना पड़ा। जगह-जगह जनता के आक्रोश का सामना करने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा-"दुनिया सब कुछ देख रही है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर। हम घटनाओं की गवाहियां सुन रहे हैं। डॉक्टरों की, (मरने वालों के) घर वालों की, बच जाने वालों की, मरने वालों के मासूम बच्चों की। औरतों, बच्चों और दूध पीते बच्चों का ये क़त्ल सारी दुनिया देख रही है। इसका तुरंत रुक जाना ज़रूरी है।"

इस बयान में जनमत का दबाव साफ़ महसूस किया जा सकता है। स्पेन के उप-प्रधानमंत्री ने इस्राईल पर पाबंदियां लगाने की मांग की। यही मांग बेल्जियम की मंत्री ने भी कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के कई अधिकारियों की ओर से पेश किया गया सख़्त नोट भी मीडिया में बहस का मुद्दा रहा, जिसमें राष्ट्रपति बाइडन की इस्राईल की हिमायत की पॉलिसी से न केवल असहमति व्यक्त की गई, बल्कि राष्ट्रपति पर झूठ और युद्ध अपराध में मदद के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। संघर्ष ने सारी दुनिया में यह सूरतेहाल पैदा की है कि न्यायप्रिय जनता अपने शासकों की अत्याचारपूर्ण, अमानवीय और अनैतिक नीतियों के बारे में जागरूक हो रही है।

यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस जागरूकता में दुनिया की मदद करें। सच्चाई को सामने लाएं। जनमत को सही दिशा दें। फ़िलिस्तीनियों की क़ुर्बानियों को बर्बाद न होने दें और न्याय की भरोसेमंद बुनियाद तलाश करने में विश्व समुदाय की मदद करें। हमारे देश का जनमत भी बड़ी अहमियत रखता है। फ़िलिस्तीन के पीड़ितों के लिए हमारी मदद यही होगी कि यहां की जनता सच्चाई से अवगत रहे और फ़िलिस्तीन की हिमायत में भारत की ऐतिहासिक भूमिका बहाल रहे। ■■

"यह अच्छी बात है कि दुनियाभर की न्यायप्रिय जनता अपने शासकों की अत्याचारपूर्ण, अमानवीय और अनैतिक नीतियों के बारे में जागरुक हो रही है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस जागरुकता में दुनिया की मदद करें। सच्चाई को सामने लाएं। जनमत को सही दिशा दें और न्याय की भरोसेमंद बुनियाद तलाश करने में विश्व समुदाय की मदद करें। हमारे देश का जनमत भी बड़ी अहमियत रखता है। फ़िलिस्तीन के पीड़ितों के लिए हमारी मदद यही होगी कि यहां की जनता सच्चाई से अवगत रहे और फ़िलिस्तीन की हिमायत में भारत की ऐतेहासिक भूमिका बहाल रहे।"

QUALITY FOODS

Seafood Processors & Exporters

AN ISO 9001:2008 COMPANY



FACTORY

PLOT No. S.5B 39 5B 50A, CUNCOLIM INDUSTRIAL ESTATE,
CUNCOLIM, SALETE, GOA-403 703
TEL.: 91 832 2865610/11/12 | FAX: 832 2865609
Email: aualityfoods@sancharnet.in/qualityfoods@rediffmail.com

KANTI Monthly, New Delhi
JANUARY 2024
Posted on 20-21 December 2023
Published on 18 December 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

2024

JANUARY

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

FEBRUARY

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

MARCH

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

APRIL

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MAY

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

JUNE

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

JULY

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AUGUST

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SEPTEMBER

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

OCTOBER

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NOVEMBER

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

DECEMBER

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				